



Group
YOUR JOB, OUR WORK

Gi GROUP INDIA COMPLIANCE NEWSLETTER

November'23 EDITION



Dear Reader,

It is our privilege to introduce the November 2023 edition of our monthly Compliance Newsletter. The newsletter will help you stay updated with the latest regulatory changes, notifications, and amendments.

In this edition of our monthly Compliance Newsletter, we bring you the latest Minimum Wages revisions notifications from the state of Kerala.

Further, we have also appended the notifications and amendments released in the month of November'23. Some of the important announcements made in this newsletter are, Registration of employees within 10 days of the date of appointment by employer in ESI, Notification regarding creating awareness of various schemes available under Punjab Labour Welfare Board, Enforcement of Certain Provisions of ESI Act in areas of Pudukottai district in the State of Tamil Nadu, and more such important news.

In the compliance newsletter, we've also included the officially notified Holiday List for the year 2024 across different states of India.

Read further to know more!

Best Regards,
Gi Group India

[Follow For More Updates](#)





About Gi Group India

Gi Group India is one of the world's leading human capital solutions and services provider, offering services in various domains of talent acquisition and management. The group is active in the fields of Temporary and Permanent Staffing, Site Managed Services, Search & Selection, Domestic & International Recruitment, Recruitment Process Optimization (RPO), Executive Search, and HR Consulting & Training. We have direct and indirect presence and strategic partnerships in about 57 countries across Europe, Asia, America, and Africa. Gi Group has developed strong expertise through its specialist divisions and dedicated local and international teams.

Gi Group has been present in India for the last two decades, helping clients implement highly crucial projects by hiring and managing great talent. In India Gi Group actively works with customers across the country through a network of offices in 10 major cities. We help organizations achieve accelerated growth by helping them acquire the right kind of talent and providing them with a continuum of staffing solutions, from short-term to long-term and incidental to strategic, for organizations of all sizes and across multiple locations.

Our list of clients ranges from global Fortune 500 companies to large Indian Companies and New Economy Startups. We service our customers through a combination of technology and an extremely agile and responsive team of recruiters and process specialists, thus enabling our clients to focus on business performance and productivity. Ranked globally and in India as one of the largest staffing firms by Staffing Industry Analysts, Gi Group is also a global corporate member of the World Employment Confederation (formerly CIETT).

In India, Gi Group is one of the founding members of the Indian Staffing Federation (ISF). Gi Group is also a long-term strategic member of the National HRD Network.

MINIMUM WAGES REVISIONS

THE KERALA MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Kerala, Labour and Skills (E) Department has revised the variable dearness allowance for employment in Shops and Commercial Establishment and employment in the Computer Software Sector. As per the Notification No. DES/1036/2023-P3(1) The Consumer Price Index (Cost of Living Index) Numbers applicable to employees in employment under the Minimum Wages Act (Central Act XI of 1948) for September 2023 as ascertained by the Director General of Economics & Statistics under clause (C) of Section 2 of the Act. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Kerala					
Effective Date: 01/09/2023					
<u>Nature of Employment: Shops & Establishment</u>					
Grade	District	Basic General	DA General	Special Allowance	Minimum Wages General
Special	Thiruvananthapuram	9330	4836	200	14366
Grade A	Thiruvananthapuram	9120	4836	200	14156
Grade B	Thiruvananthapuram	8910	4836	200	13946
Grade C	Thiruvananthapuram	8700	4836	200	13736
Grade D	Thiruvananthapuram	8490	4836	200	13526
Grade E	Thiruvananthapuram	8280	4836	200	13316
Special	Ernakulam	9330	4160	200	13690
Grade A	Ernakulam	9120	4160	200	13480
Grade B	Ernakulam	8910	4160	200	13270
Grade C	Ernakulam	8700	4160	200	13060
Grade D	Ernakulam	8490	4160	200	12850
Grade E	Ernakulam	8280	4160	200	12640
Special	Thrissur	9330	3978	200	13508
Grade A	Thrissur	9120	3978	200	13298
Grade B	Thrissur	8910	3978	200	13088
Grade C	Thrissur	8700	3978	200	12878
Grade D	Thrissur	8490	3978	200	12668
Grade E	Thrissur	8280	3978	200	12458
Special	Palakkad	9330	4238	200	13768
Grade A	Palakkad	9120	4238	200	13558
Grade B	Palakkad	8910	4238	200	13348
Grade C	Palakkad	8700	4238	200	13138
Grade D	Palakkad	8490	4238	200	12928
Grade E	Palakkad	8280	4238	200	12718
Special	Wayanad/Meppadi	9330	3900	200	13430
Grade A	Wayanad/Meppadi	9120	3900	200	13220
Grade B	Wayanad/Meppadi	8910	3900	200	13010
Grade C	Wayanad/Meppadi	8700	3900	200	12800
Grade D	Wayanad/Meppadi	8490	3900	200	12590
Grade E	Wayanad/Meppadi	8280	3900	200	12380

NOTIFICATIONS/ CIRCULARS/ AMENDMENTS



AVAILING OF MEDICAL SERVICES BY THE IPS AND BENEFICIARIES FROM ANY ESIC DISPENSARY/HOSPITALS ACROSS INDIA

ESIC has issued vide circular No. U-13/14/ATR/ESIC/38/2021/01 (1076), regarding availing of medical services by the IPs and beneficiaries from any ESIC/ESIC dispensary/hospitals across India. Please refer to the circular appended herewith for more details.

CIRCULAR ON TRANSFER OF ACCOUNTS AFTER THE DEATH OF MEMBER FOR CALCULATION OF ASSURANCE BENEFIT UNDER EDLI SCHEME, 1976

The EPFO released Vide circular No. Pension/EDLI matters/2023/2168, transfer of accounts after the death of member for calculation of assurance benefit under EDLI Scheme, 1976. Please refer to the circular appended herewith for more details.

DEVELOPMENT OF IN-HOUSE DIALYSIS SERVICES AT ESIC HOSPITALS AND INTEGRATION WITH PRADHAN MANTRI NATIONAL DIALYSIS PROGRAM

ESIC has issued vide circular No. U-16015/18/2023-Med-I (488707), regarding development of In house Dialysis Services at ESIC Hospitals and integration with Pradhan Mantri National Dialysis Program (PMNDP). Please refer to the circular appended herewith for more details.

REGISTRATION OF EMPLOYEES WITHIN 10 DAYS OF THE DATE OF APPOINTMENT BY EMPLOYER IN ESI

ESIC has issued vide circular No. P-11/12/Misc./SST Misc./SST Misuse/2019-Rev-II, regarding registration of employees within 10 days of the date of appointment by employer in ESI. Please refer to the circular appended herewith for more details.

ENFORCEMENT OF CERTAIN PROVISIONS OF ESI ACT IN AREAS OF BASTI DISTRICT IN THE STATE OF UTTAR PRADESH

The Government of India, vide Notification S.O.5033(E) implemented the following provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act) with effect from 1st day of December 2023, in the areas of Basti districts of Uttar Pradesh:

Chapter IV on Contribution
Chapter V on Benefits and
Chapter VI on Adjudication of Disputes and Claims

Please refer to the circular appended herewith for more details.

ENFORCEMENT OF CERTAIN PROVISIONS OF ESI ACT IN AREAS OF ETAH, LAKHIMPUR KHIRI AND BALRAMPUR DISTRICTS IN THE STATE OF UTTAR PRADESH

The Government of India, vide Notification S.O.5034(E) implemented the following provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act) with effect from 1st day of December 2023, in the areas of Etah, Lakhimpur Khiri and Balrampur districts of Uttar Pradesh:

Chapter IV on Contribution
Chapter V on Benefits and
Chapter VI on Adjudication of Disputes and Claims

Please refer to the notification appended herewith for more details.

ENFORCEMENT OF CERTAIN PROVISIONS OF ESI ACT IN AREAS OF PUDUKOTTAI DISTRICT IN THE STATE OF TAMIL NADU

The Government of India, vide Notification S.O.5035(E) implemented the following provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act) with effect from 1st day of December 2023, in the areas of Pudukottai district of Tamil Nadu:

Chapter IV on Contribution
Chapter V on Benefits and
Chapter VI on Adjudication of Disputes and Claims

Please refer to the notification appended herewith for more details.

ENFORCEMENT OF CERTAIN PROVISIONS OF ESI ACT IN AREAS OF PUDUKOTTAI DISTRICT IN THE STATE OF UTTAR PRADESH

The Government of India, vide Notification S.O.5035(E) implemented the following provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act) with effect from 1st day of December 2023, in the areas of Pudukottai district of Tamil Nadu:

Chapter IV on Contribution
Chapter V on Benefits and
Chapter VI on Adjudication of Disputes and Claims

Please refer to the notification appended herewith for more details.

ENFORCEMENT OF CERTAIN PROVISIONS OF ESI ACT IN AREAS OF KANDHAMAL DISTRICT IN THE STATE OF ODISHA

The Government of India, vide Notification S.O.5036(E) implemented the following provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act) with effect from 1st day of December 2023, in the areas of Kandhamal district of Odisha:

Chapter IV on Contribution
Chapter V on Benefits and
Chapter VI on Adjudication of Disputes and Claims

Please refer to the notification appended herewith for more details.

NOTIFICATION REGARDING CREATING AWARENESS OF VARIOUS SCHEMES AVAILABLE UNDER PUNJAB LABOUR WELFARE BOARD

The Government of Punjab vide notification No. PA/LC/194, has issued notification on creating awareness of various schemes available under Punjab Labour Welfare Board to beneficiaries. Please refer to the notification appended herewith for more details.


OFFICE ORDER REGARDING REDUCING THE COMPLIANCE BURDEN TO THE PRINCIPAL EMPLOYER/CONTRACTOR UNDER THE CONTRACT LABOUR (REGULATION & ABOLITION) ACT, 1970

The Government of NCT Delhi vide F. No. DLC (HQ-II)/CLA/2022/5633-5635, has released office order regarding reducing the compliance burden to the principal employer/Contractor under CLRA Act, 1970. Please refer to the office order appended herewith for more details.

THE MANIPUR SHOPS & ESTABLISHMENT (REGULATION ON EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2021 GETS PRESIDENT'S ASSENT

The Government of Manipur vide notification No. 2/29/2021-Leg/L, has released the Manipur Shop and Establishments (Regulation on Employment and Conditions of Service) Act, 2021 gets President's Assent w.e.f. 29th June 2023. The existing legislations i.e. the Manipur Shops & Establishment Act, 1972 and the Manipur Shops & Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Ordinance, 2021 hereby repealed. Please refer to the notification appended herewith for more details.

**HOLIDAY LIST
FOR YEAR 2024**



- 1. ASSAM**
The Government of Assam, vide Notification No. 221561/1, released the holiday list for the year 2024. Please refer to the notification appended herewith for more details.
- 2. BIHAR**
The Government of Bihar vide notification No. 3/H-02/2023-S.P 16953, declared list of holidays for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.
- 3. DELHI**
The Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, vide Notification No. F.53/627/GAD/CN/2023/2259-2305, declared the List of Public Holidays in the Union Territory of Delhi for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.
- 4. GOA**
The Government of Goa vide notification No. 37/1/2023-GAD-III/3993 has released the General List of Holidays for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.
- 5. GUJARAT**
The Government of Gujarat, vide Notification No.GS/27/2023/JSR/102023/930/GH, released General List of public holidays for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.
- 6. JHARKHAND**
The Government of Jharkhand vide notification No. 15/S.A -03-05/2023 of 6371, has released List of Holidays for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.
- 7. KARNATAKA**
The Government of Karnataka vide notification No. DPAR 16 HHL2023, has announced the list of holidays for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.
- 8. LAKSHADWEEP**
The Administrator, Union Territory of Lakshadweep, vide Notification F.No.35/02/2018-Genl. 4076, declared closed holidays for the calendar year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.
- 9. MAHARASHTRA**
The Government of Maharashtra issued vide notification RNI No. MAHBIL /2009/31745, declared list of holidays for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.
- 10. ODISHA**
The Government of Odisha, vide Notification No.RDM-Reg-MISC-0014-2023-39313, released the holiday list for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.
- 11. PUDUCHERRY**
The Lieutenant-Governor of the Union territory of Puducherry vide notification G.O. Ms. No. 59, has released the list of holidays for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.
- 12. RAJASTHAN**
The Government of Rajasthan vide notification Office No.06(1)SA/PR/6/2022-2480, declared a holiday list effective from 1st January 2024. Please refer notification appended herewith for more details.

13. SIKKIM

The Government of Sikkim vide notification No.70/Home/2023, has issued public holidays for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.

14. TAMIL NADU

The Government of Tamil Nadu, vide Notification G.O.Ms. No. 692, has released the holiday list for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.

15. TRIPURA

The Government of Tripura, vide Notification No.F.17(1)-GA(SA)/2023/8423-31, has released the holiday list for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.

16. WEST BENGAL

The Government of West Bengal vide notification No. 6112-F(P2) has released List of Holidays for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.

17. KERALA

The Government of Kerala vide notification G. O. (P) No. 23/2023/GAD, G.O.(P) No. 24/2023/GAD, has released a public holiday list for the year 2024. Please refer notification appended herewith for more details.

Disclaimer: All information and content contained in this document are provided solely for general information and reference purposes. GI Group India makes no statement, representation, warranty or guarantee as to the accuracy, reliability or timeliness of the information and content contained in this document. Although every possible care and caution has been taken to avoid any mistakes or omissions while editing. Printing, producing online or publishing the judgments, Head Notes, Editorials, Articles, Forms & Precedents, the subscriber or reader should verify the correctness respectively from the full text as in the certified copy of Judgements or Gazettes concerned. Neither GI Group India nor any of its related company accepts any responsibility or liability for any direct or indirect loss or damage (whether in tort, contract or otherwise) which may be suffered or occasioned by any person howsoever arising due to any inaccuracy, omission, misrepresentation or error which may inadvertently crept on despite care and caution in respect of any information and content provided by this document.

Contact Information:

Name- Sushil Shah, Legal and Compliance

Email- marcom.india@gigroup.com, Website: www.gigroup.co.in

Address- World Trade Tower, Tower-B, Unit 503, 5th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh – 201301

**OFFICE OF THE COMMISSIONER (LABOUR)
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)
5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054**

F.No.(142)/02/MW/VII/Part file/ 5206-5294

Dated: 23/10/2023

ORDER

Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi, had last revised the minimum rates of wages in Schedule Employment under the Minimum Wages, 12(142)/02/MW/VII/3636 dated 22/10/2019.

And whereas in the above mentioned notification it was stipulated that the Dearness Allowances will be payable on the basis of six monthly average index numbers of January to June and July to December on 1st April and 1st October respectively.

And whereas, the Government of National Capital Territory of Delhi after adjustment of the average All India Consumer Price Index Number of the period from January to June 2023, which is 385.96, an increase of 7.38 points, hereby declares the following Dearness Allowances, which shall be payable for all categories w.e.f 01.10.2023

The following revised rates of minimum wages shall be applicable in respect of unskilled, semiskilled and skilled categories in all schedules employment:-

The table also indicate per day wages;-

Category	Rates as on 01/04/2023	D.A(pm) w.e.f 01/10/2023	Rates from (Rupees) 01/10/2023	
	(Rupees)	(Rupees)	Per-month	Per-day
Un-skilled	17,234/-	260/-	17,494/-	673/-
Semi-skilled	18,993/-	286/-	19,279/-	742/-
Skilled	20,903/-	312/-	21,215/-	816/-

The following rates of minimum wages shall be applicable in respect of Clerical and Supervisory Staff in all Scheduled employments.

Category	Rates as on 01/04/2023	D.A(pm) w.e.f 01/10/2023	Rates from (Rupees) 01/10/2023	
	(Rupees)	(Rupees)	Per-month	Per-day
Non matriculate	18,993/-	286/-	19,279/-	742/-
Matriculate but not graduate	20,903/-	312/-	21,215/-	816/-
Graduate and above	22,744/-	338/-	23,082/-	888/-

B 23/10/23
(S.C. Yadav)

Additional Labour Commissioner

NB:- Case of tampering with the order has come to our notice. Employers/workers may confirm from website of Labour Department- labour.delhi.gov.in

Cont....2

Copy forwarded to:-

1. Secretary of Govt. of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
2. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
3. Secretary to the Chief Minister, Government of Delhi.
4. Secretary to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha Delhi.
5. Secretary to Minister of Labour, Employment, Development and General Administration Department, Govt. of Delhi.
6. Secretary to Minister of Health, Industries, Gurudwara, Irrigation and Food Control, Public Works Department and Power Department, Govt. of Delhi.
7. Secretary to Minister of Tourism, Art and Culture, Govt. of Delhi.
8. Secretary to Minister of Food and Supply, Environment and Forest and Election, Govt. of Delhi.
9. Secretary to Minister of women and Child, Social Welfare, Language and SC & ST Department, Govt. of Delhi.
10. Chief Labour Commissioner ©, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi
11. Special/Joint Director Employment, GNCTD.
12. Secretary(DBOCWWB), GNCTD.
13. District DLC's
14. Dy. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi with the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of the Government of Delhi
15. Regional Labour Commissioner ©, 4th Floor, Jiwan Deep Building, Parliament Street, New Delhi
16. AD (Planning & Statistics): Labour Department, Government of Delhi, for publication on the web-site of the Department in the Labour Statistics.
17. Accounts Branch, Labour Department, GNCTD.
18. Librarian, Office of the Labour Commissioner, Delhi.
19. Guard File

 23/10/23
Addl. Labour Commissioner

**OFFICE OF THE
LABOUR COMMISSIONER: ODISHA: BHUBANESWAR**

+++

NOTIFICATION

No. 6153 /LC, Bhubaneswar, dated 04-10-2023


Whereas the minimum rate of wages for unskilled, semi skilled, skilled and highly skilled categories of employees in 89 scheduled employments were fixed/ revised by the Government in Notification No. 7312-LL-I(III)-56/18/LESI dated 30.10.2018 of the Labour & ESI Department, Odisha published in the Extraordinary Issue No. 1991 of the Odisha Gazette dated the 30.10.2018 bearing SRO No. 431/2018.

And whereas, the State Minimum Wages Advisory Board have advised to adopt a system of revision of the special allowance called Variable Dearness Allowances @ Rs. 0.90 per point rise in the Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001-100) as admissible and shall be declared at half yearly interval i.e. on 1st April and 1st October from the date of notification of revised wages, starting from 1st April 2019.

And whereas, the Variable Dearness Allowance for the half year commencing w.e.f. 1st October, 2023 is required to be effected on the basis of the increase in average Consumer Price Index Number for Industrial workers reaching 385.97 from 378.58 as on 30.06.2023 and thereby resulting in an increase of 7.39 points.

Now therefore, I Dr. N. Thirumala Naik, I.A.S., Labour Commissioner, Odisha in exercise of the powers delegated in the aforesaid Notification do hereby notify that the Variable Dearness Allowance (VDA) @ Rs. 7.00 per day (after rounding off) shall be payable to the unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled categories of employees in all 89 scheduled employments (list enclosed in the Schedule) w.e.f. 1st October, 2023 in addition to the minimum rate of wages notified vide the aforesaid Notification of Government in Labour & ESI Department, Odisha and the total VDA notified vide Notification No. 2500/ LC dtd. 05.04.2023. Accordingly, the present rate of minimum wages including VDA per day w.e.f. 1st October, 2023 shall be as under:


Category of Employee	Minimum Wages with VDA per day w.e.f. 01.04.2023	V.D.A. per day w.e.f. 1.10.2023	Minimum Wages with VDA per day w.e.f. 01.10.2023
Unskilled	Rs.345.00	Rs.7.00	Rs.352.00
Semi skilled	Rs.385.00	Rs.7.00	Rs.392.00
Skilled	Rs.435.00	Rs.7.00	Rs.442.00
Highly Skilled	Rs.495.00	Rs.7.00	Rs.502.00


Labour Commissioner, Odisha
04/10/23

1/2/1


Memo No. 6/59 / dtd. 04.10.2023

Copy forwarded to All Joint Labour Commissioners / All Divisional Labour Commissioners / All District Labour Officers / All Assistant Labour Officers for information and necessary action. They are requested to circulate the same among all concerned.


Labour Commissioner, Odisha

Memo No. 6/60 / dtd. 04.10.2023

Copy forwarded to the Director, Printing Stationery and Publication, Odisha, Madhupatna, Cuttack with a request to publish the above notification in the next issue of Odisha Gazette and supply 200 copies to this office.


Labour Commissioner, Odisha


Memo No. 6/61 / dtd. 04.10.2023

Copy forwarded to All Heads of Departments of Odisha / All District Collectors of Odisha for information.


Labour Commissioner, Odisha


Memo No. 6/62 / dtd. 04.10.2023

Copy submitted to All Secretaries to Government of Odisha for kind information.


Labour Commissioner, Odisha

Memo No. 6/63 / dtd. 04.10.2023

Copy submitted to the Commissioner-cum-Secretary to Government, Labour & ESI Department, Odisha, Bhubaneswar for kind information.


Labour Commissioner, Odisha

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Employment
1	2
1.	Agriculture
2.	Agarbati and Candle making Worker's Establishments
3.	Automobile servicing, repairing garages and workshops
4.	Ayurvedic and Unani Pharmacy
5.	Bakeries and Confectionaries including Biscuit making
6.	Bamboo Forest Establishment
7.	Brass and Bell Metal Industry
8.	Carpet Weaving Industry
9.	Cashew processing establishments
10.	Cement pipe making and allied products industry
11.	Ceramic and Pottery Industry
12.	Chemical Industry
13.	Cinema Industry and Film Production
14.	Clay Pottery
15.	Coir Industry
16.	Collection of Sal Seeds
17.	Construction or maintenance of Dams, Embankments, Irrigation Projects and sinking of wells and tanks.
18.	Construction or maintenance of roads or in building operations
19.	Contingent and Casual Employees in Govt. and other establishments, Courier and Cargo Services
20.	Cotton Ginning and Pressing Industry
21.	Dispensary of Medical Practitioner in any establishment of medical consultant or in any Chemical or Pathological Laboratory, Private Nursing Homes, Private Medical College Hospitals, Super Specialty Hospitals, clinic, laboratory etc.
22.	Distilleries
23.	Domestic Workers (shall be calculated as per hours of work)
24.	Electricity transmission, generation and distribution
25.	Employment in NGO & Voluntary Social Organization
26.	Employment in laying of underground Cables, Electric lines, Water supply lines and under Cable Operators.
27.	Finishing Dying of yarn and fabrics, painting, knitting and embroidery
28.	Fisheries and Sea food Industry
29.	Forest produce such as Genduligum, Mahua making of coal and resin.
30.	Foundry Industry with or without attached machine shop
31.	Glass Industries
32.	Gold and Silver Ornaments and articles of artistic design
33.	Graphite Industry including beneficiation
34.	Handloom and Hosiery
35.	Hotels, Eating Houses and Restaurants
36.	Ice Factory and Cold Storage
37.	Jute Industry and Jute Twine Industry
38.	Kendu Leaf Collection
39.	Khadi Village Industries including manufacture of Khandasari and other products
40.	Laundry including dry-washing
41.	Leather Industry
42.	Liquified Petroleum Gas manufacture and distribution
43.	Local Authority
44.	Manufacture of brush and brooms

45.	Manufacture of Coke and Burning Coals
46.	Manufacture of Cold drinks, Soda and other allied products
47.	Manufacture of Electrical Bulbs and all allied electrical equipments
48.	Manufacture of matches, fireworks and explosives
49.	Manufacture of nails and pines
50.	Manufacture of paints and varnishes
51.	Manufacture of plastic products including toys
52.	Manufacture of Radio by assembling with parts
53.	Manufacture of ropes
54.	Manufacture of Utensils including Aluminum and Hindalium products
55.	Metal Industry(except the cottage and village scale units)
56.	Major or Minor Engineering Industry including Sponge, Secondary Steel, Rolling Mills, Ferro Alloys, Metal Industries (employment less than 50 persons)
57.	Motor body building
58.	Non-teaching staff of all private Educational Institutions including ITI & Training Institute Coaching Centre.
59.	Oil Mill
60.	Paper and Cardboard Industry
61.	Petrol and Diesel Oil pumps
62.	Pharmaceutical Industry
63.	Powerloom Industry
64.	Printing Press, DTP centre and off set printing press
65.	Private Road Transport
66.	Private Security Agencies and Private Security Services
67.	Public Health Engineering
68.	Public Motor Transport
69.	Readymade Garments Industries including Mechanized Trade of Readymade Garment Industry
70.	Refractory Industry
71.	Regulated markets, Marketing Societies, Co-operative Societies and Banks.
72.	Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill, Chuda mill and Masala Mill
73.	Rubber and Rubber Products Industry
74.	Salt Pans
75.	Saw Mills
76.	Shops, Commercial Establishments, saloon, beauty parlour, Spa, massaging centre, Xerox shop, STD booth, tent house, newspaper hawkers and newspaper establishments.
77.	Siali leaf pluckers & Sallleaf pluckers
78.	Soap and Detergent Manufactory
79.	Social Forestry
80.	Spinning Mills
81.	Stone breaking or Stone crushing
82.	Tamarind collection
83.	Tile and Brick Making
84.	Timber Trading (excluding felling and sawing)
85.	Timber Trading (including felling and sawing)
86.	Tobacco(including Bidi making)Manufactory
87.	Trunks, Suit case and Bucket manufactory
88.	Wood works and furniture making industries
89.	Minor Ports

OFFICE OF THE LABOUR COMMISSIONER, PUNJAB
Model Welfare Centre, Labour Bhawan, Phase-10, Mohali.
(Statistical Branch)

Dated: 13/10/23

No.ST/ 12027

ADJUSTMENT OF MINIMUM WAGE RATES W.E.F. 01.09.2023 IN THE STATE OF PUNJAB.

The Minimum rates of wages for Un-skilled workers and for other categories of workers in respect of Scheduled Employments vide notification No.S.O.22/C.A.11/1948/Ss.3 and 5/2015 dated 26.05.2015 have been linked with Consumer Price Index Numbers (Centre Series 2001=100) compiled by Labour Bureau, Govt. of India. In view of the above mentioned circular, minimum rates of wages have been fixed with average C.P.I base index ending August, 2013. The average C.P.I. number for six months ending August, 2013 (Base Index) is 227. Now, A New Series of Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) (Base 2016=100) has been adopted by the Labour Bureau vide letter No. 114/1/2013-CPI dated 3.11.2020.

After linking the New Series of CPI (IW) (Base 2016=100) to the old series of CPI (IW) (Base 2001=100) the average C.P.I number for six months from March 2023 to August 2023 is 390.11. Thus, the minimum rates of wages for Un-skilled workers are Rs. 10736.75 w.e.f 01.09.2023. The details of adjusted minimum rates of wages in these Scheduled Employments are given in following tables:-

TABLE No. 1

Sr. No.	Categories	W.E.F. 1.9.2013 Monthly/ Daily/ Per Hour (In Rs.)	W.E.F. 1.3.2023 Monthly/Daily/ Per Hour/ (In Rs.)	W.E.F. 1.9.2023 Monthly/Daily/ Per Hour/ (In Rs.)
1	Un-skilled	6247.75 240.64 30.08	10353.77 398.22 49.77	10736.75 412.95 51.61
2	Semi- skilled	7027.75 270.64 33.88	11133.77 428.22 53.52	11516.75 442.95 55.36
3	Skilled	7924.75 305.14 38.18	12030.77 462.72 57.84	12413.75 477.45 59.68
4	Highly – skilled	8956.75 344.84 43.18	13062.77 502.41 62.80	13445.75 517.14 64.64

TABLE No. II

Minimum Wages of staff Categories from A to D as mentioned in the table below shall be applicable only to Scheduled Employments under the Government of Punjab, the Local Authority and the Boards, Corporations or any Agency (By whatever name it is called) under the control of the Govt. of Punjab in respect of the Staff Employed through outsourcing or employed casually or on daily wages.

Sr. No.	Categories	W.E.F. 1.9.2013 Monthly/Daily/ Per Hour/ (In Rs.)	W.E.F. 1.3.2023 Monthly/Daily/Per Hour/ (In Rs.)	W.E.F. 1.9.2023 Monthly/Daily/Per Hour/ (In Rs.)
1	Staff Category-A	11417.75 439.54 54.98	15523.77 597.06 74.63	15906.75 611.79 76.47
2	Staff Category-B	9747.75 375.34 46.98	13853.77 532.83 66.60	14236.75 547.56 68.44
3	Staff Category-C	8247.75 317.63 39.78	12353.77 475.14 59.39	12736.75 489.87 61.23
4	Staff Category-D	7047.75 271.44 33.98	11153.77 428.99 53.62	11536.75 443.72 55.46

TABLE No. III

**Minimum rates of wages of attached labour in Agriculture (Un-skilled workers)
(Consolidated per annum with meals or food grains equivalent thereof).**

(As per the notification dated 15.11.2012)

Sr. No	w.e.f.	Yearly (In Rs.)
1	01.09.2013	46232.30
2	01.03.2023	70871.42
3	01.09.2023	73169.30

**TABLE No. IV
Other Agriculture labour Daily (In Rs.)**

Sr. No.	w.e.f.	With meals (In Rs.)	Without meals (In Rs.)
1	01.09.2013	225.44	250.64
2	01.03.2023	373.59	415.36
3	01.09.2023	387.41	430.72

TABLE No. V

BRICK KILN (PIECE RATE) PER 1000 BRICKS /TILES (in Rs.)

Sr.No.		01.09.2013	01.03.2023	01.09.2023
1	Pathera with Jamadari commission Bticks	515.02	853.49	885.06
	Tiles	573.12	949.77	984.90
2	Pathera without Jamadari commission Bticks	484.92	803.60	833.33
	Tiles	545.72	904.36	937.81
3	Bharaiwala Donkeys/ Khacher, loader, Rehri Jhota, Thela, etc, Animal driven.)	191.36	317.12	328.85
	Tempo. Truck (Mechanical Driven)	166.46	275.85	286.06
	Truck Trolley loading Unloading (Pacca Bricks)	142.06	235.42	244.13
4	Chennai Wala	38.46	63.73	66.09
5	Keri Wala	32.36	53.62	55.61
6	Nikasiwala	122.69	203.32	210.84
7	Mistri	95.39	158.08	163.92

Note: - Increase in Minimum rates of wages payable to different categories of workers be done on the pattern of wages of Un-skilled workers.

Labour Commissioner, Punjab.

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

महँगाई भत्ते की दरें



कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2023 / 6465

नवा रायपुर, दिनांक 25.09.2023

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **भीम सिंह**, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा कृषि नियोजन के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2023 से जून 2023 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई 2022	1131	जनवरी 2023	1170
अगस्त 2022	1140	फरवरी 2023	1171
सितम्बर 2022	1149	मार्च 2023	1175
अक्टूबर 2022	1159	अप्रैल 2023	1180
नवम्बर 2022	1167	मई 2023	1186
दिसम्बर 2022	1167	जून 2023	1196
कुल	$\frac{6913}{6} = 1152.16$ (1152)	कुल	$\frac{7078}{6} = 1179.67$ (1180)

इनका औसत 1180 घोषित करता हूँ, जो कि **अनुसूची- "क"** कृषि नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।


(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर


कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

**कृषि नियोजन (भाग-दो) में नियोजित श्रमिकों के लिये दिनांक
01.10.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते
की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप**

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा कृषि नियोजन भाग-दो में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986-87=100) 852 (जनवरी-जून 2016) को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2023/6465, दिनांक 25.09.2023 के अनुसार जनवरी 2023 से जून 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गत छःमाही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 1152 (1986-87=100 जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 के आधार आँकड़े) के ऊपर 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई औसत वृद्धि 28 बिन्दु पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 05 रुपये के मान से परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय होगा। परिणामस्वरूप 05 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 140 या प्रतिदिन रुपये 4.67 (30 दिन के मान से) परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची-"क")


(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“क”

कृषि में नियोजन (भाग- “दो”)

(दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक)

आंकड़े रुपये में


न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह	प्रतिदिन	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900.00	230.00	1500.00	50.00	8400.00	280.00 (280)	अकुराल कृषि श्रमिक	6900.00	230.00	1640.00	54.67	8540.00	284.67 (285)
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024												


(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।
3. इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
4. कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।


(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे 0 / श्र0आ0 / 2023 / 6466,

नवा रायपुर, दिनांक 25.09.2023

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **भीम सिंह**, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार **जनवरी 2023 से जून 2023** तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)
जुलाई 2022	374.11	जनवरी 2023	382.46
अगस्त 2022	374.98	फरवरी 2023	382.18
सितम्बर 2022	378.14	मार्च 2023	383.90
अक्टूबर 2022	381.60	अप्रैल 2023	386.50
नवम्बर 2022	381.60	मई 2023	387.94
दिसम्बर 2022	381.02	जून 2023	392.83
कुल	$\frac{2271}{6} = 378.50$ (379)	कुल	$\frac{2316}{6} = 386$

इनका औसत **386** घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजन (भाग-एक) के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 में प्रकाशित परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजनों (भाग-एक) परिशिष्ट "अ" के श्रमिकों को दिनांक **01.10.2023 से 31.03.2024** तक परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0 /श्र0आ0/2023/6466, दिनांक 25.09.2023 के अनुसार जनवरी 2023 से जून 2023 तक की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है, जिसके कारण गत छःमाही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 379.00 (2001=100 जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 के आधार आँकड़े) के ऊपर (386-379) 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 के अनुसार अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 के आंकड़ों के उपर प्रति छःमाही में हुई औसत वृद्धि पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 20 रुपये के मान से देय होगा। परिणामस्वरूप 20 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 140 या प्रतिदिन रुपये 5.38 (26 दिन के मान से) परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची - "ख")

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं भीम सिंह, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा परिशिष्ट-"अ" के 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों तथा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची- ख एवं "ग" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।


(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट- "अ"

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग-“एक”)

क्र०	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यों में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन

22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन
23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24	विक्रय सवर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुरा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/वुड वर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	फयूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 "के" परिभाषित की गई, चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती हैं, में नियोजन

(भाग-दो)

01.	कृषि में नियोजन
-----	-----------------

1. अगरबत्ती उद्योग।
2. किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

परिशिष्ट "ब" (स्पष्टीकरण)

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :-


"अकुशल कर्मचारी" वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

"अर्द्धकुशल कर्मचारी" वह है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

"कुशल कर्मचारी" वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

"उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।
5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।
6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।
8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी। कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न की विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं के लिये न्यूनतम वेतन की दरें वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के श्रेणी/वर्ग का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 में दर्शित है।


(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

जोन का विवरण

जोन "अ" –

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- अटल नगर, जिला-रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखानें जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है।

जोन "ब"–

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र।

जोन "स" –

- जोन "अ" एवं "ब" में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।


(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“ख”
अनुसूचित नियोजन भाग-एक के 45 नियोजन

(दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2023 तक)

(दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जो न का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में		न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में			
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	320.00	2160.00	83.08	10480.00	403.08	403.08	8320.00	320.00	2300.00	88.46	10620.00	408.46	(408)
		ब	8060.00	310.00	2160.00	83.08	10220.00	393.08	393.08	8060.00	310.00	2300.00	88.46	10360.00	398.46	(398)
		स	7800.00	300.00	2160.00	83.08	9960.00	383.08	383.08	7800.00	300.00	2300.00	88.46	10100.00	388.46	(388)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	345.00	2160.00	83.08	11130.00	428.08	428.08	8970.00	345.00	2300.00	88.46	11270.00	433.46	(433)
		ब	8710.00	335.00	2160.00	83.08	10870.00	418.08	418.08	8710.00	335.00	2300.00	88.46	11010.00	423.46	(423)
		स	8450.00	325.00	2160.00	83.08	10610.00	408.08	408.08	8450.00	325.00	2300.00	88.46	10750.00	413.46	(413)
3	कुशल	अ	9750.00	375.00	2160.00	83.08	11910.00	458.08	458.08	9750.00	375.00	2300.00	88.46	12050.00	463.46	(463)
		ब	9490.00	365.00	2160.00	83.08	11650.00	448.08	448.08	9490.00	365.00	2300.00	88.46	11790.00	453.46	(453)
		स	9230.00	355.00	2160.00	83.08	11390.00	438.08	438.08	9230.00	355.00	2300.00	88.46	11530.00	443.46	(443)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00	2160.00	83.08	12690.00	488.08	488.08	10530.00	405.00	2300.00	88.46	12830.00	493.46	(493)
		ब	10270.00	395.00	2160.00	83.08	12430.00	478.08	478.08	10270.00	395.00	2300.00	88.46	12570.00	483.46	(483)
		स	10010.00	385.00	2160.00	83.08	12170.00	468.08	468.08	10010.00	385.00	2300.00	88.46	12310.00	473.46	(473)

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-“अ” तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।


(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“ग”

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता।
(दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक)

क्र. सं.	श्रमिकों का वर्ग	जो न का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में		जो न का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	277.33	2160.00	72.00	10480.00	349.33 (349)	अ	8320.00	277.33	2300.00	76.67	10620.00	354.00 (354)
		ब	8060.00	268.67	2160.00	72.00	10220.00	340.67 (341)	ब	8060.00	268.67	2300.00	76.67	10360.00	345.33 (345)
		स	7800.00	260.00	2160.00	72.00	9960.00	332.00 (332)	स	7800.00	260.00	2300.00	76.67	10100.00	336.67 (337)
2	अर्धकुशल	अ	8970.00	299.00	2160.00	72.00	11130.00	371.00 (371)	अ	8970.00	299.00	2300.00	76.67	11270.00	375.67 (376)
		ब	8710.00	290.33	2160.00	72.00	10870.00	362.33 (362)	ब	8710.00	290.33	2300.00	76.67	11010.00	367.00 (367)
		स	8450.00	281.67	2160.00	72.00	10610.00	353.67 (354)	स	8450.00	281.67	2300.00	76.67	10750.00	358.33 (358)
3	कुशल	अ	9750.00	325.00	2160.00	72.00	11910.00	397.00 (397)	अ	9750.00	325.00	2300.00	76.67	12050.00	401.67 (402)
		ब	9490.00	316.33	2160.00	72.00	11650.00	388.33 (388)	ब	9490.00	316.33	2300.00	76.67	11790.00	393.00 (393)
		स	9230.00	307.67	2160.00	72.00	11390.00	379.67 (380)	स	9230.00	307.67	2300.00	76.67	11530.00	384.33 (384)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	351.00	2160.00	72.00	12690.00	423.00 (423)	अ	10530.00	351.00	2300.00	76.67	12830.00	427.67 (428)
		ब	10270.00	342.33	2160.00	72.00	12430.00	414.33 (414)	ब	10270.00	342.33	2300.00	76.67	12570.00	419.00 (419)
		स	10010.00	333.67	2160.00	72.00	12170.00	405.67 (406)	स	10010.00	333.67	2300.00	76.67	12310.00	410.33 (410)

टीप : इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।

(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2023 / 6467

नवा रायपुर, दिनांक 25.09.2023

// अधिसूचना //

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/3761/ 613 /16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं **भीम सिंह**, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, विगत जनवरी 2023 से जून 2023 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई 2022	1732.13	जनवरी 2023	1770.79
अगस्त 2022	1736.16	फरवरी 2023	1769.49
सितम्बर 2022	1750.79	मार्च 2023	1777.46
अक्टूबर 2022	1766.81	अप्रैल 2023	1789.50
नवम्बर 2022	1766.81	मई 2023	1796.16
दिसम्बर 2022	1764.12	जून 2023	1818.80
कुल	$\frac{10517}{6} = 1752.8$ (1753)	कुल	$\frac{10722}{6} = 1787$

अतः विगत छः माहों का औसत **1787** घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2022/6467, दिनांक 25.09.2023 के अनुसार जनवरी 2023 से जून 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1787 रहा है। इस प्रकार अगरबत्ती उद्योग में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1285 (2001=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जनवरी 2023 से जून 2023 तक की अवधि 502 औसत बिन्दुओं (1787-1285=502 पाईट) की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 6.28 रुपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता एवं तदनुरूप अगरबत्ती उद्योग के अन्य वर्गों के लिए निर्धारित प्रति बिन्दु दर अनुसार परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अन्तर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। अतः अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को अनुसूची "ई" अनुसार परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची – "ई"

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन	
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु० 26.96	पैसे 5 पैसा प्रति 4 हजार	(रु. 6.28) (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	33.24
	साधारण सुगंधित (सेंटेड)	रु० 27.66	पैसे 5 पैसा प्रति 4 हजार	(रु. 6.28) (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	33.94
आ.	निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना।				
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के					
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.05	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500	(रु. 5.02) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	27.07
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500	(रु. 5.02) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	27.78
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500	(रु. 5.02) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	27.78
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 28.89	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 400	(रु. 6.28) (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	35.17
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 38.79	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300	(रु. 8.38) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	47.17
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 44.57	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 250	(रु. 10.04) (2 पैसा प्रति बिन्दु)	54.61
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 45.87	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 250	(रु. 10.04) (2 पैसा प्रति बिन्दु)	55.91
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 56.41	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 200	(रु. 12.55) (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	68.96
सिलोफेन या जिलेटिन के					
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500	(रु. 5.02) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	27.78
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 28.37	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 400	(रु. 6.28) (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	34.65
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 36.30	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300	(रु. 8.38) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	44.68
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 37.05	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300	(रु. 8.38) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	45.43

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 39.15	पैसे (रु. 8.38) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	47.53
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 45.87	पैसे (रु. 10.04) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	55.91
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 54.99	पैसे (रु. 12.55) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	67.54
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 57.81	पैसे (रु. 12.55) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	70.36

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 18.29	पैसे (रु. 4.17) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	22.46
2.	12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 18.96	पैसे (रु. 4.17) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	23.13
3.	23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 22.73	पैसे (रु. 5.02) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	27.75
4.	50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 23.46	पैसे (रु. 5.02) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	28.48
5.	100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 28.37	पैसे (रु. 6.28) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	34.65
6.	200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 30.11	पैसे (रु. 6.28) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	36.39

(ई) सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :-

1.	5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 4.22	पैसे (रु. 1) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2500 (0.20 पैसा प्रतिबिन्दु)	5.22
2.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 4.80	पैसे (रु. 1.10) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2200 (0.22 पैसा प्रतिबिन्दु)	5.90
3.	पुंगली बनाने के कागज प्रति सैकड़ा	रु० 7.32	पैसे (रु. 1.66) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 1500 (0.33 पैसा प्रतिबिन्दु)	8.98

अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।



(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (व्ही0डी0ए0) **जनवरी 2023 से जून 2023** में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 1285 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिये रूपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहाँ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।


(भूम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2023 / 6468

नवा रायपुर, दिनांक 25.09.2023

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **भीम सिंह** श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार **जुलाई 2022 से जून 2023** तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जुलाई 2022	8539.40
अगस्त 2022	8559.26
सितम्बर 2022	8631.39
अक्टूबर 2022	8710.36
नवम्बर 2022	8710.36
दिसम्बर 2022	8697.12
जनवरी 2023	8729.99
फरवरी 2023	8723.60
मार्च 2023	8762.86
अप्रैल 2023	8822.21
मई 2023	8855.08
जून 2023	8966.70
कुल	$\frac{104708.34}{12} = 8725.69$ (8726)

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत **8726** घोषित करता हूँ जो कि किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट लिव्हिंग इन्डेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक **01.10.2023** से **30.09.2024** तक देय रहेगा।



(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महुँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2021/6468, दिनांक 25.09.2023 के अनुसार जुलाई 2022 से जून 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 8726 रहा है। इस प्रकार किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6321 (1960=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2022 से जून 2023 की अवधि तक 2405 पाईट (8726-6321) औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महुँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से 24.05 रूपये परिवर्तनशील महुँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 30.09.2024 तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अंतर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। अतः बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों को अनुसूची-‘फ’ अनुसार परिवर्तनशील महुँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 30.09.2024 तक देय है।

(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची "फ"

तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1	2	3	4	5
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु0 96.24	24.05	रु0 120.29 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 673.62 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 673.62 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।
2.	रेलाई श्रमिक			
अ	बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1	लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रु0 53.18 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 12.03 (एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	65.21
2	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रु0 56.35 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 12.03 (एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	68.38
ब.	झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रु0 48.06 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 12.03 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	60.09
2.	झिल्ली लगाना	रु0 35.20 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 9.02 (1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार)	44.22
3.	लेबल लगाना	रु0 13.10 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 3.01 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार)	16.11
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु0 13.44 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 3.01 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार)	16.45
स.	एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो			
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 198.88 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 48.10 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	246.98
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 48.10 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	264.12
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 48.10 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	264.12

नोट :-

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छॉटने तथा जाँच करने वाले, तंबाखू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राइवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाऊंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. उच्च कुशल – ड्राइवर (चालक) (भारी वाहन) एकाऊंटेंट, डाटा एन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर आपरेटर), मुनीम, कैशियर, हेड क्लर्क।
2. कुशल – स्टोर कीपर, ड्राइवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, गोडाउन कीपर, क्लर्क, बिलमेन।
3. अर्ध कुशल – बीड़ी छॉटने या जाँच करने वाले, भट्टी वाला।
4. अकुशल – ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ीयों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, श्रमिक।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।



(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.10.2023 To 30.09.2024

V.D.A. Revisable Annually with Effect from 01.10.2023


No.	Perticular	Rs./P
1	Basic Wages	96.24
2	Variable Dearness Allowance	24.05
3	Leave With Salary (@ 5% of Total Wages)	6.01
4	Total Wages	126.30
5	Bonus (@8.33% of Total Wages	10.52
6	P.F. Contribution of Employer @ 10% of Total Wages	12.63
7	Total	149.45
8	Less P.F.Contribution of Employer (@10% of Total Wages)	12.63
9	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	12.63
10	Net Payable to Beedi Roller (7-(8+9))	124.19

(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।
2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 6321 (1960=100) पर आधारित है। 6321 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची-‘फ’ के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तम्भ 4 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी।
3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाखू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।
6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियों सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।


(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2023 / 6469

नवा रायपुर, दिनांक 25.09.2023

प्रतिलिपि :-

1. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए निवेदन है कि इस अधिसूचना को (छत्तीसगढ़) राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित कर 20 प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र0 / 303 / आर / 577 / 97 / नि-514, दिनांक 30.06.1992 के संदर्भ में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना अधीक्षण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह, एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
10. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
11. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, रायपुर ।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
14. सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

16. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
17. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन, आयाकट विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
18. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
19. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन व प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
21. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
22. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
23. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
24. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
25. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
26. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
27. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
28. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
29. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जन शिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
30. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
31. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
32. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
33. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
34. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

35. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
36. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
37. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
38. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
39. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
40. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
41. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
42. संचालक, पंचायत विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
43. संचालक, उद्यानिकी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
44. संचालक, संपदा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
45. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
46. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
47. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
48. नियंत्रक, नाप-तौल विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
49. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
50. विभागाध्यक्ष, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
51. आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सर्वशिक्षा अभियान, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
52. संचालक, विमानन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
53. आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आदिम जाति विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
54. संचालक, ग्रामोद्योग, रेशम, हाथकरघा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
55. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
56. आयुक्त, पेंशन कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
57. संचालक, लोक अभियोजन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।


58. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
59. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
60. आयुक्त, परिवहन विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
61. संचालक, कृषि विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
62. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
63. विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
64. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
65. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
66. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
67. संचालक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
68. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
69. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
70. संचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
71. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
72. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
73. संचालक, मत्स्योद्योग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
74. मुख्य तकनीकी परीक्षक एवं सतर्कता, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
75. अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
76. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
77. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
78. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
79. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
80. आयुक्त, वाणिज्यिक विभाग, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
81. संचालक, सैनिक कल्याण, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
82. नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

83. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
84. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर ।
85. आयुक्त एवं अध्यक्ष हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
86. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय, जीरो प्वाईट, विधानसभा के पास, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
87. संभाग आयुक्त, जिला-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा (राजस्व संभाग) ।
88. सचिव, राज्य महिला आयोग, गायत्री भवन-13, जलविहार कॉलोनी, रायपुर, जिला-रायपुर ।
89. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर, जिला-रायपुर ।
90. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, साक्षरता चौक, सिविल लाईन, रायपुर ।
91. सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, जल विहार कॉलोनी, तेलीबांधा, रायपुर ।
92. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. हास्पिटल के पास, रायपुर ।
93. सचिव, बाल अधिकार संरक्षण अयोग, रायगढ़ बाड़ा, सिविल लाईन, रायपुर ।
94. सचिव, राज्य युवा आयोग, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर, रायपुर ।
95. सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
96. सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोग, गौरव पथ, इंद्रावती कॉलोनी, रायपुर ।
97. संचालक प्रशासन अकादमी, धमतरी रोड, ग्राम-निमोरा, रायपुर, जिला-रायपुर ।
98. सचिव, राजस्व मण्डल, नेहरू नगर, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर ।
99. संचालक उद्योग, उद्योग भवन, रिंग रोड नं., तेलीबांधा, रायपुर ।
100. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास संग्रहालय, राजभवन के पास, रायपुर ।
101. पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, जी0ई0रायपुर ।
102. संचालक, राज्य फोरेंसिक लैब, पुलिस लाईन रायपुर, जिला- रायपुर ।
103. आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
104. आयुक्त, विभागीय जांच, पुराना मंत्रालय, के पास, रायपुर, जिला-रायपुर ।
105. संचालक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अनुपम गार्डन, आयुर्वेदिक कालेज के पास, रायपुर ।
106. संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
107. संचालक, राज्य कृषक प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
108. परि.प्रशासक, कार्यालय मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
109. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, डी.के.एस. हास्पिटल के पास, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
110. संचालक, आयुष, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
111. संचालक, जनगणना निदेशालय रायपुर ।

112. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पंडरी रोड, देवेन्द्र नगर, रायपुर।
113. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
114. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
115. उप संचालक, राजभाषा, रायपुर छत्तीसगढ़।
116. आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
117. मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।
118. संचालक, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, व्ही. आई. पी. रोड, रायपुर छत्तीसगढ़।
119. प्रभारी अधीक्षक, स्टेट गैरेज, काली माता मंदिर चौक, सिविल लाईन रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
120. पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
121. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक-1 एवं 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, जगदलपुर, धमतरी, जांजगीर-चांपा।
122. कुल सचिव, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
123. कुल सचिव, पं० रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
124. कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
125. कुल सचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
126. कुल सचिव, पं० सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
127. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
128. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
129. कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़।
130. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
131. कुल सचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
132. कुल सचिव, हिदायतउल्ला नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
133. सचिव, उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
134. सचिव, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
135. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
136. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
137. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनौषधि बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
138. प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
139. प्रबंधक संचालक, राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
140. पंजीयक, राज्य सहकारी विपणन बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
141. प्रबंधक संचालक, राज्य वन विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।

142. प्रबंधक संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
143. प्रबंधक संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर, (छ0ग0)।
144. कार्यपालन अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
145. सचिव, मदरसा बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
146. कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
147. प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, द्वितीय तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
148. प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
149. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
150. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
151. प्रबंध संचालक, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
152. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
153. प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी., नगर घड़ी चौक, रायपुर।
154. प्रबंध संचालक, कार्यालय छ0ग0 स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन, पंडरी रायपुर।
155. कार्यपालिक निदेशक छ0ग0 राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, रायपुर।
156. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर।
157. प्रबंध संचालक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर।
158. प्रबंध संचालक आयुक्त छ0ग0 इन्फ्रास्ट्रचर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
159. सचिव, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रोहणीपुरम्, रिंग रोड, डीडी नगर, रायपुर।
160. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अवंति विहार, रायपुर।
161. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, समता कॉलोनी, रायपुर।
162. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
163. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर।
164. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर।
165. समस्त अपर श्रमायुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर।
166. सहायक श्रमायुक्त— रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़।
167. श्रम पदाधिकारी—राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, जांजगीर—चांपा, महासमुंद, अम्बिकापुर, कवर्धा, बालोद, बलौदाबाजार, कोण्डागांव, गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, दंतेवाड़ा, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर, गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही।

168. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला-रायपुर।
169. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा एवं इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लैब रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
170. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।
171. केन्द्र अभियंता, दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।


(भीम सिंह)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र.आ. / 2023 / 6470

दिनांक 25.09.2023

प्रति,

.....
.....
.....
.....

विषय :- दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2023 से न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई है, जिसकी पुस्तिका संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(बी0एस0बीरहा)

सहायक श्रमायुक्त
कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ-3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के अंक 301 के ऊपर वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार जनवरी, 2023 से जून, 2023 के औसत सूचकांक 386 पर दिनांक 01-10-2023 से 31-03-2024 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा :-

$$(386-301) \times 20 = 1700.00$$

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रु०
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वाणिज्य अद्विष्टानों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन	309/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
2.	सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण सक्रियताओं में नियोजन	310/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
3.	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।	311/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
4.	चिकन के कार्य में नियोजन।	तदैव	1700.00
5.	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	तदैव	1700.00
6.	आइसकैन्डी/आईस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1700.00
7.	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1700.00
8.	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1700.00
9.	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेंट उत्पाव विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1700.00
10.	लाप्ट्री या धुलाई अद्विष्टानों में नियोजन	तदैव	1700.00
11.	जिल्दसाजी में नियोजन।	तदैव	1700.00
12.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	तदैव	1700.00
13.	पाटरी सिरेमिक्स या रिफ़ैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव	1700.00

(2)

14.	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी है) के उद्योग में नियोजन	312/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
15.	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
16.	मिष्ठान्न उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
17.	वासित पेयों (एस्टेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव	1700.00
18.	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1700.00
19.	परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
20.	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	तदैव	1700.00
21.	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन	तदैव	1700.00
22.	सिले सिलाए कपडों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1700.00
23.	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिंचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	तदैव	1700.00
24.	प्राईवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राईवेट दुकानों में नियोजन	तदैव	1700.00
25.	फाल्पट्टी उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
26.	धातु उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
27.	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन	तदैव	1700.00
28.	ऐसे अभिनियंत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।	तदैव	1700.00
29.	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव	1700.00
30.	कपडा छपाई में नियोजन	313/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
31.	क्लबों में नियोजन	314/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
32.	निजी मुद्रणालयों में नियोजन	315/VIII/19-228 (श्रम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00

(3)

33.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	316 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
34.	उत्तराखण्ड में यांत्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन।	तदैव	1700.00
35.	उत्तराखण्ड में आटोमोबाईल रिपेयर्स में नियोजन।	तदैव	1700.00
36.	सिनेमा उद्योग में नियोजन।	317 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
37.	शिलाई उद्योग में नियोजन	318 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
38.	एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मेशियां में नियोजन	319 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
39.	छोटा मिनियोजन बल्व एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (घरने की शीशे और कांच की थूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन।	320 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
40.	धर्मशालाओं में नियोजन	321 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
41.	निजी पुस्तकालयों में नियोजन	322 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
42.	होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन	323 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
43.	प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थाओं में नियोजन।	324 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
44.	चाय बागान में नियोजन	325 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
45.	हौजरी उद्योग में नियोजन	326 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
46.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	327 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
47.	किसी तेल मिल में नियोजन	तदैव	1700.00
48.	किसी रोलर आटा मिल में नियोजन	तदैव	1700.00
49.	वनिकी (फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन	328 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
50.	ईट भट्टा उद्योग में नियोजन	329 / VIII / 19-228 (अम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00

(4)

51.	काष्ठ कार्य और फर्नीचर में नियोजन	330/VIII/19-228 (अम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
52.	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	331/VIII/19-228 (अम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
53.	कालीन बुनाई में नियोजन	332/VIII/19-228 (अम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
54.	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के दूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन	333/VIII/19-228 (अम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00
55.	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन	तदैव	1700.00
56.	खाण्डसारी में नियोजन	तदैव	1700.00
57.	हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग में नियोजन	334/VIII/19-228 (अम)/2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1700.00

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या : 33/2 /4-01/13

दिनांक 26-9-23

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मागे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।



(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

न्यूनतम वेतन अधिनियम में आवर्त नियोजन में देय भत्ता।

राजाज्ञा संख्या : 430/VIII/15-40(श्रम)/2008, दिनांक : 15 जुलाई, 2015 एवं 1044(1)/VIII/15-40(श्रम)/2008, दिनांक : 30 जुलाई, 2015 के अनुसार कृषि के नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के आधार पर माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 के 253 अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 पर ₹20 प्रति अंक की दर पर दिनांक : 01-10-2023 से 31-03-2024 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा :-

$$(386-253) \times 20 = 2660.00$$

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी

संख्या : 3308 /4-1/2012

दिनांक : 26-9-23

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन करायें तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक तालिका के स्तम्भ-2 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त तालिका के स्तम्भ-3 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्र0 सं0	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
1	2	3
1.	जनवरी, 2023	132.8
2.	फरवरी, 2023	132.7
3.	मार्च, 2023	133.3
4.	अप्रैल, 2023	134.2
5.	मई, 2023	134.7
6.	जून, 2023	136.4
7.	कुल	804.1
8.	6 माह का औसत	$804.1 \div 6 = 134.016$
9.	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	134.016×2.88 $= 385.96$ या 386
10.	24.10.2019 में पुनरीक्षित/निर्धारित औसत सूचकांक	301 बिन्दु
	सूचकांक में वृद्धि	$386 - 301 = 85$ बिन्दु
11.	प्रतिशत वृद्धि $= \frac{85}{301} \times 100$	28.23 %

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर संलग्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी से जून, 2023 (वर्ष-2023 का प्रथम अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक-01.10.2023 की तिथि से देय होगा।



(संख्या-2/एम0डब्लू0-2071/20210, श्र0नि0, 1913, राँची, दिनांक 18-09-2023.)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

R.C.
18/09/2023
अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय,
झारखण्ड।

अधिसूचना

एस0ओ0.....दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

R.C.
18/09/2023
अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय,
झारखण्ड।

NOTIFICATION

S.O...../dated/In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in schedule employments mentioned in column-2 of the attached Schedule-1, for the months shown in column-2 of the schedule mentioned below, shall be as shown in column-3 of the said schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

S.N.	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2016 =100)
1	2	3
1	January, 2023	132.8
2	February, 2023	132.7
3	March, 2023	133.3
4	April, 2023	134.2
5	May, 2023	134.7
6	June, 2023	136.4
7	Total	804.1
8	Average	$804.1 \div 6 = 134.016$
9	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	$134.016 \times 2.88 = 385.96$ OR. 386
10	Revised / fixed Price index no.as on 24.10.2019	301 Point
	Increase in CPI	$386 - 301 = 85$ Point
11	Percentage Increase = $\frac{85 \times 100}{301}$	28.23 % increase

R.C.



The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the schedule employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-3 of schedule with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages had been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January-June, 2023, which is 1st half of 2023, will be payable from 01.10.2023

[No-2/MW-2071/2010 L&T-1913 Ranchi, Dated 18-09-2023]

By Order of the Governor of Jharkhand,

18/09/2023
Under Secretary,

Labour Commissioner Office,
Jharkhand.

अनुसूची- 1

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई से दिसम्बर 2018 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की गई है।	जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महंगाई भत्ता देय है।	उपरोक्त मूल्य सूचकांक में वृद्धि (4 - 5)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महंगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि देय होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बौध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं० -1879 दिनांक- 24.10.19	301	386	386-301 =85बिन्दु अर्थात् $\frac{85 \times 100}{301}$ =28.23 %की वृद्धि	क) रु० 274.81 पर रु० 77.57 प्रतिदिन ख) रु० 287.90 पर रु० 81.27 प्रतिदिन ग) रु० 379.51 पर रु० 107.13 प्रतिदिन घ) रु० 438.39 पर रु० 123.75 प्रतिदिन मासिक क) रु० 7145.06 पर रु० 2017.05 प्रतिमाह ख) रु० 7485.40 पर रु० 2113.12 प्रतिमाह ग) रु० 9867.26 पर रु० 2785.52 प्रतिमाह घ) रु० 11398.14 पर रु० 3217.69 प्रतिमाह	दिनांक- 01.10. 2023 से देय
2.	पकाई एवं खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

BR

3.	धर्म शोधनालय और विनिर्माण शालाओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
4.	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
5.	डिस्टीलरी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
6.	पोट्रीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
7.	बेकरीज एवं कान्फकेशन के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
8.	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
9.	अल्युमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10.	खण्ड सारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11.	केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12.	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13.	सीमेट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
14.	एसबेस्टस सीमेट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
15.	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
16.	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
17.	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
18.	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19.	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
20.	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
21.	सिंदुर एवं रंग बनाने का	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

१५

	उद्योग के नियोजन						
22.	घर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
23.	उड़ वक्स एवं फनींघर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
24.	आइसक्रीम एवं कॉल्ड ड्रिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
25.	पेट्रोल एवं डीजल पम्पस के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
26.	फिशरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
27.	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
28.	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29.	हाई कोक भट्टा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
30.	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिकस के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
31.	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माणकार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
32.	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
33.	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
34.	हैंडलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
35.	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36.	रिफेक्टरीज फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
37.	किसी भी	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

	अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाली दुकान या प्रतिष्ठान के अलावा किसी अन्य दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन						
38.	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39.	किसी विन्व विद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
40.	होटल, भोजन-गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
41.	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
42.	डेयरी एवं पोल्ट्रीफार्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
43.	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
44.	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
45.	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
46.	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
47.	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
48.	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
49.	प्लास्टिक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

[Handwritten signature]

	उद्योग के नियोजन						
50.	सीमेंट से हयून पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
51.	कृषि नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
52.	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53.	शीशा उद्योग के नियोजन (ग्लास शीट को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
54.	दफती, कार्डबोर्ड, पिलबोर्ड, कारगोटेड बोर्ड, एस्ट्राबोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
55.	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
56.	प्लाइवुड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
57.	दलाई (फायरफ़्री उद्योग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58.	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
59.	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
60.	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
61.	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
62.	मिनरल ग्राईडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
63.	बुहारने और सफाई का कार्य के	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

	नियोजन						
64.	स्पज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
65.	मोटर गैराज एण्ड ववर्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
66.	मोटर बोडी बिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
67.	मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
68.	घाटेंड/कॉस्ट अकाउंट्स/ ऑडिटर/ टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक् के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
69.	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टिट्यूट निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
70.	जमीन के नीचे वाटर सप्लाय पाईप लाइन एवं कंयुल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
71.	इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एण्ड सप्लाय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
72.	पडाल आदि का साज सज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
73.	ग्राइडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
74.	सवारी एव माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
75.	कम्प्युटर	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

	शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन						
76.	मोबाइल टायर इत्यादि के संचालन के कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
77.	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधिन 1976 से आच्छादित नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-2/एम०डब्ल्यू०-2071/2010,श्र०नि० 1913 राँची, दिनांक 18.09.2023)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

R.C.
18/09/2023

अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय,
झारखण्ड।

Schedule-I

Sl. No.	Name of the Schedule Employments	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of January, 2023 to June, 2023 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1879 Date-24-10-19	301	386	386 - 301 =85 Or $\frac{85 \times 100}{301}$ =28.23%	(a) On Rs. 274.81 Rs.77.57per day (b) On Rs. 287.90 Rs.81.27per day (c) On Rs. 379.51 Rs.107.13per day (d) Rs.438.39 and above Rs.123.75per day	With effect from- 01.10.2023

R.C.

						Monthly	
						(a) On Rs. 7145.06 Rs. 2017.05 per month (b) On Rs. 7485.40 Rs. 2113.12 per month (c) On Rs. 9867.26 Rs. 2785.52 per month (d) Rs. 11398.14 and above Rs. 3217.69 per month	
2	Shops Selling Cooked food stuff	Do	Do	Do	Do	Do	Do
3	Tanneries and Leather Manufactory	Do	Do	Do	Do	Do	Do
4	Cold Storage	Do	Do	Do	Do	Do	Do
5	Distilleries	Do	Do	Do	Do	Do	Do
6	Potteries	Do	Do	Do	Do	Do	Do
7	Bakeries and Confectionaries	Do	Do	Do	Do	Do	Do
8	Co-Operative Sector	Do	Do	Do	Do	Do	Do
9	Aluminum Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
10	Khandsari Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
11	Chemical Pharmaceutical Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
12	Soap Making Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
14	Asbestos Cement factory	Do	Do	Do	Do	Do	Do
15	Glass Sheet Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
16	Gun factory	Do	Do	Do	Do	Do	Do
17	Religious and Social Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do

me

18	Paper Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
19	Laundry and Washing	Do	Do	Do	Do	Do	Do
20	Hosieries Manufacturing	Do	Do	Do	Do	Do	Do
21	Manufacture of Sindur and Rang	Do	Do	Do	Do	Do	Do
22	Manufacture of leather goods	Do	Do	Do	Do	Do	Do
23	Wood work and Furniture	Do	Do	Do	Do	Do	Do
24	Ice-cream and Cold drink	Do	Do	Do	Do	Do	Do
25	Petrol and Diesel Pump	Do	Do	Do	Do	Do	Do
26	Fisheries	Do	Do	Do	Do	Do	Do
27	Khadi and Village Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
28	Private Ferries and L.T.C.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
29	Hard Coke Oven	Do	Do	Do	Do	Do	Do
30	Private Hospital, Nursing	Do	Do	Do	Do	Do	Do
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	Do	Do	Do	Do	Do	Do
32	Printing Press	Do	Do	Do	Do	Do	Do
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
34	Handloom Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
35	Manufacture of Gold/ Silver ornaments and articles of artistic design.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
37	Employment in Any shop or Establishment other than that covered under any of other Entries.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
38	Public Motor Transport	Do	Do	Do	Do	Do	Do

R22

39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	Do	Do	Do	Do	Do	Do
40	Hotels, Eating House and Restaurant	Do	Do	Do	Do	Do	Do
41	Any, Woolen Carpet making or Shawl weaving Establishment	Do	Do	Do	Do	Do	Do
42	Dairies and Poultry Farms	Do	Do	Do	Do	Do	Do
43	Auto Mobile Engineering	Do	Do	Do	Do	Do	Do
44	Cinema Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	Do	Do	Do	Do	Do	Do
46	Tailoring Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
49	Plastic Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
51	Employment in Agriculture	Do	Do	Do	Do	Do	Do
52	Book Binding Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
53	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board	Do	Do	Do	Do	Do	Do

Rz.

	Manufactory						
54	Electronics Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
55	Plywood Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
56	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
57	Foundry Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
58	Biscuit Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
59	Coal Briquette Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
60	Private Security Agency	Do	Do	Do	Do	Do	Do
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
62	Mineral Grinding Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
63	Employment of Sweeping and Cleaning	Do	Do	Do	Do	Do	Do
64	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	Do	Do	Do	Do	Do	Do
65	Employment in Motor garages and workshops	Do	Do	Do	Do	Do	Do
66	Employment of Motor Body Building.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs	Do	Do	Do	Do	Do	Do
68	Employment in Chartered/Costs accounts, auditors, tax consultancy and Architect.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
69	Private Technical Institution,	Do	Do	Do	Do	Do	Do

Rec.

	Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)						
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
71	Employment in Electricity Generator and supply	Do	Do	Do	Do	Do	Do
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
75	Computer Coaching Institute etc.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
76	Employment of Mobile Tower etc.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
77	Employment of Sales Promotion (Conditions of service) Act, 1976	Do	Do	Do	Do	Do	Do

(No-2/MW-2071/2010, L & T-1913.....Ranchi, Dated 18.09.2023.....)

By order of the Governor of Jharkhand,

R.C.
18/09/2023

Under Secretary,

Labour Commissioner Office,
Jharkhand.

झापांक-2/एम०डब्लू०-2072/2010 अ०नि०.1913..... राँची,

दिनांक: 18.09.2023.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५०० प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Rc.
18/09/2023
अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय
झारखण्ड।

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2072/2010 श्र०नि०.1913 राँची,

दिनांक: 18.09.2023

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

Rc.
18/09/2023
अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय
झारखण्ड।

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2072/2010 श्र०नि०.1913 राँची,

दिनांक: 18.09.2023

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उपनिदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्तिभवन, नईदिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला /चण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद (केन्द्रीय) श्रम शक्तिभवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के सभी सदस्य गण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,राँची/ निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

Rc.
18/09/2023
अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय
झारखण्ड।



ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము
THE ANDHRA PRADESH GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY

PART II EXTRAORDINARY

No.133

AMARAVATI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2023

G.1020

NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS, Etc.

--X--

COMMISSIONER OF LABOUR
ANDHRA PRADESH :: VIJAYAWADA
AND

THE COMPETENT AUTHORITY UNDER MINIMUM WAGES ACT, 1948

NO.G / 466 / 2023.

Dated : 29.09.2023.

MINIMUM WAGES ACT, 1948 - COST OF LIVING INDEX NUMBERS APPLICABLE TO THE EMPLOYEES EMPLOYED IN THE SCHEDULED EMPLOYMENTS AS ON 01-10-2023 - COST OF LIVING ALLOWANCE PAYABLE.

- Ref: 1. G.O.Ms.No.37, Women's Development, Child Welfare and Labour (Lab.II) Department, dated 15-03-1989.
2. Proceedings No. G/466/2023 of the Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Vijayawada, dated: 29.03.2023.

ORDER :-

Government have fixed/revised the minimum rates of wages in the Scheduled Employments shown in the Schedule appended which have come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette. The Cost of Living Allowance applicable to various categories of employees in the Scheduled Employments has been specified in the Notification published in the Gazette vide Sl.No.1 to 65 under Part-I and Sl.No.1 to 5 under Part-II of the Schedule appended.

2. The minimum basic rates of wages are linked to the consumer price index numbers for the Industrial workers as per Col.No.5 of the Schedule. The clause of Cost of Living Allowance shown in the Notifications specified that the Commissioner of Labour shall notify the Cost of Living Allowance every six months i.e., 1st April and 1st October. For this purpose, the average rise in the State Industrial Workers Consumer Price Index numbers for the half-year ending December and June respectively shall be taken into account. The average rise in the Consumer Price Index number for State Industrial Workers as well as State Agricultural Workers as on 01.04.2023 in respect of employees in 65 Scheduled Employments under Part-I and 5 scheduled employments under Part-II were already notified by the Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Vijayawada, through the reference 2nd cited.

3. The average rise in the Consumer Price Index number for State Industrial Workers as well as State Agricultural Workers as on 01-10-2023 in respect of employees working in the scheduled employments is hereby notified in the Schedule appended. The following notification will be published in the A.P. Gazette Extraordinary Part-II.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under clause (d) of section 2 and sub-section (2) of the Section 4 of the Minimum wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948), I, the Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Vijayawada, and the Competent Authority under Minimum Wages Act, 1948, hereby declare the average rise in the Consumer Price Index numbers for State Industrial Workers as well as State Agricultural Workers for half year ending June, 2023, as on 01-10-2023, is as follows in respect of the employments specified under Part-I and Part-II in the Schedule.

The Consumer Price Index numbers so notified in the Extra-ordinary Gazette came into force w.e.f. 01-10-2023.

**Schedule appended to the proceedings No. G/ 466 /2023, Dated: 29-09-2023 of the
Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Vijayawada**

**SCHEDULE
PART-I**

Sl. No	Name of the Schedule Employment (G.O.Ms.No and date.)	Publication in A.P.Gazette Extraordinary Part-I		C.P.I. Points for Industrial Workers linked in the existing notification (1982=100 series)	C.P.I. Numbers as on 1-10-2023
		No.	Date		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Any Oil Mills (39, LET & F (Lab-II) Dept., 29.6.2011)	332	04.07.2011	835	1729
2	Automobile Engineering Workshops including servicing and Repairs (39, LET & F (Lab.II) Dept., 31-03-2009)	25	22-01-2010	525	1729
3	Any Manufacturing Process carried out in Any Factory as defined to Section 2(m) or Section 85 of the Factories Act other than those notified under Part-I or Part-II of the Schedule of Minimum Wages Act, 1948 (4, LET & F (Lab-II) Dept., 07-01-2012)	281	17.05.2012	847	1729
4	Additional categories in Handloom Weaving Establishments (56, LET & F (Lab-II) Dept., 22-06-2007).	386	04-07-2007	488	1729
5	Baking Process including Biscuit Manufactory (87, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	619	26-10-2007	525	1729
6	Brick Kiln Industry (84, LET & F (Lab-II) Dept., 22-11-2006)	734	11-12-2006	502	1729
7	Cashew Processing Establishments (49, LET & F (Lab.II) Dept., 24-06-2008)	375	02-07-2008	525	1729
8	Cement Concrete Pipes and Cement Ware Manufactory excluding Stone ware Pipes Manufactory (84, LET & F (Lab-II) Dept., 22-09-2007)	584	06-10-2007	502	1729
9	Chemicals and Pharmaceuticals (117, LET & F (Lab.II) Dept., 7-12-2007)	705	19-12-2007	525	1729
10	Cinema Industry (17, LET & F (Lab.II) Dept., 19-02-2009)	105	19-02-2009	537	1729

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Clubs and Canteens (86, LET & F (Lab-II) Dept., 06-12-2006)	759	20-12-2006	502	1729
12	Coffee Plantations (109, LET & F (Lab-II) Dept., 1-11-2007)	653	15-11-2007	508	1729
13	Colour Printing and yarn Dyeing (67, LET & F (Lab.II) Dept., 13-08-2008)	500	28-08-2008	525	1729
14	Construction of Projects including Dams and Multi Purpose Projects (107, LET & F (Lab.II) Dept., 1-11-2007)	652	15-11-2007	508	1729
15	Construction or maintenance of Roads and Building Operations (85, LET & F (Lab.II) Dept., 22-09-2007)	568	01-10-2007	525	1729
16	Cotton Ginning and Pressing Factories (50, LET & F (Lab-II) Dept., 22-06-2010)	302	24-06-2010	572	1729
17	Cotton Carpet Weaving Establishments (66, LET & F (Lab-II) Dept., 29-07-2009)	376	03-08-2009	537	1729
18	Distilleries and Breweries (86, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	584	06-10-2007	525	1729
19	Domestic Workers (60, LET & F (Lab-II) Dept., 01-11-2011)	44	18.01.2012	835	1729
20	Electronic Industry (99, LET & F (Lab.II) Dept., 11-10-2007)	625	27-10-2007	525	1729
21	Fisheries and Sea Foods (93, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	617	26-10-2007	525	1729
22	Foot Wear and Leather Industry (27, LFB&IMS (Lab.II) Dept., 17-08-2022)	860	24-08-2022	1479	1729
23	Garment and Allied Manufacturing Industry (62, LET & F (Lab-II) Dept., 19-11-2011)	44	18.01.2012	835	1729
24	Glass Industry (91, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	620	26-10-2007	525	1729
25	Gold Covering and Gold Coating Industry (108, LET & F (Lab.II) Dept., 1-11-2007)	653	15-11-2007	525	1729
26	Handloom (Silk) Weaving Estts. (88, LET & F (Lab.II) Dept., 04-10-2008)	653	18-11-2008	488	1729
27	Handloom Weaving Establishments (34, LET & F (Lab.II) Dept., 16-03-2009)	204	21-04-2009	488	1729
28	Hospitals, Nursing Homes, Clinics And Dispensaries (68, LET & F (Lab-II) Dept., 8.12.2011)	171	19.03.2012	847	1729

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Hostels of All Colleges and all other Educational Institutions (71, LET & F (Lab-II) Dept., 15-12-2011)	282	17.05.2012	835	1729
30	Hotels and Restaurants and Eating Houses (105, LET & F (Lab-II) Dept., 01-11-2007)	652	15-11-2007	508	1729
31	Jute and Coir Industry (74, LET&F(Lab-II) Dept., 21.12.2011)	359	02.07.2012	835	1729
32	Khandasari Factories (48, LET & F (Lab.II) Dept., 24-06-2008)	374	02-07-2008	525	1729
33	Lime Stone Kilns (8, LET &F (Lab-II) Dept.,07-02-2006)	87	16-02-2006	487	1729
34	Marketing Societies Consumer Co-Operative societies&Co-Operative Banks (121, LET &F (Lab.II) Dept., 18.12.2007)	728	28-12-2007	525	1729
35	Match and Fire Works (68, LET & F (Lab-II) Dept., 21-07-2007)	466	03-08-2007	502	1729
36	Mesta used Twine Mills (79, LET & F (Lab-II) Dept., 18-10-2006).	580	23-10-2006	502	1729
37	Metal Foundries and General Engineering (88, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	621	26-10-2007	525	1729
38	Mica Works (35, LET & F (Lab-II) Dept., 28-05-2008)	327	05-06-2008	525	1729
39	Mini and Tiny Cement Factories (118, LET & F (Lab.II) Dept., 7-12-2007)	705	19-12-2007	525	1729
40	Motion Picture Industry Including Production, distribution & Publicity (98, LET & F (Lab-II) Dept., 11-10-2007)	625	27-10-2007	502	1729
41	Non-Teaching Staff working in Private Educational Institutions including Tutorial Institutions and Computer Coaching Centres (73,LET& (Lab.II) Dept., dt.21.12.2011)	383	09.07.2012	847	1729
42	Paper and paper Boards including Straw Board including handmade paper manufactory (69, LET & F (Lab-II) Dept., 08-12-2011)	82	02.02.2012	835	1729
43	Petrol Bunks (89, LET &F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	621	26-10-2007	525	1729
44	Powerloom Industry (53, LET &F (Lab.II) Dept., 03-07-2009)	375	03-08-2009	525	1729
45	Printing Press including Litho and Offset Printing (51, LET & F (Lab.II) Dept., 27-06-2008)	375	02-07-2008	525	1729

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	Private Motor Transport (90, LET & F (Lab-II) Dept., 28.09.2007)	618	26-10-2007	525	1729
47	Professional such as Chartered, Cost Accounts Auditors including Tax consultants and Clerk working with Advocates (54,LET& F(Lab-II) Dept., 03-07-2009)	375	03-08-2009	572	1729
48	Public Motor Transport (83, LET & F (Lab-II) Dept., 22-11-2006)	723	04-12-2006	502	1729
49	Rice Mills Flour Mills or Dall Mills including Roller Floor Mills (82, LET & F (Lab-II) Dept., 21-09-2007)	690	12-12-2007	525	1729
50	Salt Pans (91, LET & F (Lab-II) Dept., 30-12-2006)	67	05-02-2007	502	1729
51	Safai Karmacharis (108, LET & F (Lab-II) Dept.,08-12-2009)	67	09-02-2010	590	1729
52	Security Services (43, LET & F (Lab-II) Dept., 28-05-2010)	251	02-06-2010	590	1729
53	Seed Processing Units (35, LET & F (Lab-II) Dept., 16-03-2009)	204	21-04-2009	487	1729
54	Shops and Commercial Establishments (116, LET & F(Lab.II) Dept., 07-12-2007)	705	19-12-2007	525	1729
55	Slate Factories (106, LET & F (Lab.II) Dept.,01-11-2007)	652	15-11-2007	525	1729
56	Soft Drinks and Aerated Water Manufacturing Units (52, LET & F (Lab-II) Dept., 06-07-2006)	410	10-07-2006	487	1729
57	Spinning Mills (3, LET & F (Lab-II) Dept., 07-01-2012)	387	09.07.2012	847	1729
58	Steel Mills and Steel Re-Rolling Mills (122,LET & F (Lab-II) Dept., 18-12-2007)	728	28-12-2007	525	1729
59	Stone Breaking & Stone Crushing Operations (05, LET &F (Lab.II) Dept., 02-02-2008)	71	14-02-2008	525	1729
60	Tanneries & Leather Manufactory (38, LET & F (Lab.II) Dept., 31-03-2009)	25	22-01-2010	508	1729
61	Tiles and Potteries (92, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	621	26-10-2007	525	1729
62	Tobacco (excluding Beedi Making) Manufactory (123, LET & F (Lab-II) Dept. 18-12-2007)	728	28-12-2007	525	1729

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63	Toddy Tapping Including selling and conveyance Industry (55, LET & F (Lab-II) Dept., 22-06-2007)	435	25-07-2007	508	1729
64	Wood Working establishment including furniture excluding Timbering Operation (34, LET & F (Lab.II) Dept., 26-05-2008)	326	05-06-2008	525	1729
65	Woolen Carpet making and Shawl Weaving Establishments (7, LET & F (Lab-II) Dept., 24-01-2007)	94	15-02-2007	502	1729

PART-II

Sl. No	Name of the Schedule Employment (G.O.Ms.No and date.)	Publication in A.P.Gazette Extraordinary Part-I		C.P.I. Points for Agricultural Workers linked in the existing notification (1986=100 series)	C.P.I. Numbers as on 01-10-2023
		No.	Date		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Betal Vines (32, LET & F (Lab.II) Dept., 18-06-2011)	368	20.07.2011	589	1346
2	Dairy Farming including Cattle Feeding and Conveyance (34, LET & F (Lab.II) Dept., 18.6.2011)	499-A	03.09.2011	589	1346
3	Poultry Farming including Feeding Units and Conveyance (33, LET & F (Lab.II) Dept., 18.06.2011)	368	20.07.2011	589	1346
4	Horticulture (72, LET & F (Lab.II) Dept., 18-7-2012)	629	23.11.2012	589	1346
5.	Agriculture (73, LET & F (Lab.II) Dept., 18-7-2012)	280	18.04.2013	619	1346

NOTE:

- (i) The Cost of Living Allowance from 01-10-2023 to 31-03-2024 is admissible for the raise in the points over and above link points (i.e. Column.No.6-5) in respect of employments shown from Sl.No.1 to 65 in Part-I and Sl.No.1 to 5 in Part-II.

M.V. SESHAGIRI BABU,
Commissioner of Labour.

Dated: 29.09.2023

కార్మిక శాఖ కమీషనర్ , ఆంధ్ర ప్రదేశ్: విజయవాడ వారి ఉత్తర్యులు మరియు
కనీస వేతనాల చట్టం, 1948 క్రింద సమర్థ అధికారి వారి ఉత్తర్యులు

నెం.జి / 466/2023

తేదీ : 29.09.2023

విషయం: 1948 కనీస వేతనాల చట్టం - 01-10-2023 తేదీ నాటికి అనుసూచిత ఉపాధులలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు వర్తించే జీవన వ్యయ సూచి సంఖ్యలు - చెల్లించదగు జీవన వ్యయ భత్యం - ఉత్తర్యులు - జారీ చేయడమైంది.

నిర్దేశం : 1. జి.ఓ.ఎం,ఎస్.నం.37, మహిళాభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమం, కార్మిక (కార్మిక-II) శాఖ, తేదీ. 15.03.1989.
2.జి/466/2023 విజయవాడలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ కమీషనర్ ప్రోసీడింగుల తేదీ : 29.03.2023.

<<>>

ఉత్తరువు:

ఇందువెంట జతచేసిన అనుసూచిత చూపిన అనుసూచిత ఉపాధులలో కనీస వేతనాల రేట్లను ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది/సవరించింది. ఇవి అధికారిక గెజిట్ లో ప్రచురితమైన తేదీ నుండి అమలులోకి వచ్చాయి. అనుసూచిత ఉపాధులలోని వివిధ రకాల ఉద్యోగులకు వర్తించే జీవన వ్యయ భత్యాన్ని ఇందు వెంట జత చేసిన అనుసూచితోని ఒకటవ భాగంలో గల వరుస సంఖ్య 1 నుండి 65 మరియు రెండవ భాగం లోని వరుస సంఖ్య 1 నుండి 5 ద్వారా గెజిట్ లో ప్రచురించబడిన ప్రకటనలో నిర్దిష్ట పరచడమైంది.

2. అనుసూచితోని 5 వ గడి ప్రకారం పారిశ్రామిక కార్మికుల కోసం కనీస ప్రాథమిక వేతనాల రేట్లను వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలకు జతచేయడమైంది. ప్రతి ఆరు నెలలు అంటే ఏప్రిల్ 1 వ తేదీన మరియు అక్టోబర్ 1 వ తేదీన జీవన వ్యయ భత్యాన్ని కార్మిక కమీషనర్ ప్రకటించాలని ప్రకటనలలో చూపిన జీవన వ్యయ భత్యం ఖండం నిర్దిష్ట పరచింది. వరుసగా జూన్ మరియు డిసెంబర్ నెలలతో ముగిసే అర్ధ సంవత్సరాల కోసం రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలలో సగటు పెరుగుదలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. 1వ భాగంలోని 65 అనుసూచిత ఉపాధులు మరియు 2 వ భాగంలోని 5 అనుసూచిత ఉపాధులలోని ఉద్యోగుల విషయంలో 01-04-2023 తేదీనాటికి రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు అలాగే రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మికుల కోసం వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలో సగటు పెరుగుదలను పైన పేర్కొన్న 2వ నిర్దేశము ద్వారా విజయవాడలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ కమీషనర్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

3. వరుసగా జనవరి నుండి జూన్, 2023 వరకు రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు మరియు వ్యవసాయ వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలో సగటు పెరుగుదలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ అనుసూచిత ఉపాధులలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల విషయంలో 01-10-2023 తేదీనాటికి రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు అలాగే రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మికుల కోసం వినియోగదారుల ధర సూచి సంఖ్యలో సగటు పెరుగుదలను ఇందువెంట జతచేసిన అనుసూచితో ఇందుమూలంగా ప్రకటించడమైంది. దిగువ ప్రకటనను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గెజిట్ అసాధారణ సంచిక 2వ భాగంలో ప్రచురించడమవుతుంది.

ప్రకటన

1948, కనీస పేతనాల చట్టంలోని 2వ విభాగపు (డి) ఖండం మరియు 4వ విభాగపు (2) ఉప విభాగం క్రింద లభ్యమైన అధికారాలను పురస్కరించుకొని విజయవాడలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ కమీషనర్ మరియు 1948, కనీస పేతనాల చట్టం క్రింద సమర్థ అధికారి అయిన నేను అనుసూచిలోని 1వ భాగం మరియు 2వ భాగం లో నిర్దిష్టపరచిన ఉపాధుల విషయంలో దిగువ పేర్కొన్న విధంగా 01-10-2023 తేదీనాటికి జూన్, 2023 నెలతో ముగిసే అర్థ సంవత్సరం కోసం రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు అలాగే రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మికులకు సంబంధించి వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలో సగటు పెరుగుదలను ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాను.

ఆ విధంగా అసాధారణ గేజిట్ లో ప్రకటించబడిన వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలు 01-10-2023 తేదీనుండి అమలులోకి వచ్చాయి.

విజయవాడలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ కమీషనరు వారి 29.09.2023 తేదీ గల ప్రొసీడింగుల నెం. జి / 466 / 2023 కు జతపరచిన

అనుసూచి

1వ భాగం

వరుస సంఖ్య	అనుసూచిత ఉపాధి పేరు (జి.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం., తేదీ.)	ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిటు అసాధారణ సంచిక 2వ భాగంలో ప్రచురణ		ప్రస్తుత ప్రకటనలో అనుసంధానించిన పారిశ్రామిక కార్మికుల సి.పి.ఐ పాయింట్లు (1982=100 సీరీసు)	01-10-2023 తేదీనాటికి సి.పి.ఐ సంఖ్యలు
		సంఖ్య	తేదీ		
1	2	3	4	5	6
1.	ఏవేని ఆయిలు మిల్లులు (29-6-2011 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, నెం.39)	332	4-7-2011	835	1729
2	సర్వీసింగు, మరమ్మత్తులతోపాటు ఆటోమొబైలు ఇంజనీరింగు వర్క పాపులు (31-3-2009 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, నెం.39)	25	22-01-2010	525	1729
3	1948, కనీస వేతనాల చట్టపు అనుసూచిలోని 1వ భాగం, 11వ భాగం క్రింద ప్రకటించినవి కాకుండా మిగిలినటువంటి ప్యాక్టరీల చట్టంలోని 2 (ఎం) విభాగం లోడా 85వ విభాగంలో నిర్వచించిన విధంగా ఏదేని ప్యాక్టరీలో నిర్వహించే ఏదేని తయారీ ప్రక్రియ (07-01-2012 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, నెం. 4)	281	17.05.2012	847	1729
4	చేనేత పరిశ్రమల సంస్థలలోని అదనపు కేటగిరీలు (22-6-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, నెం.56)	386	4-7-2007	488	1729
5	బీస్కట్ల తయారీతోసహా బీకింగు ప్రక్రియ (28-9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, నెం.87)	619	26-10-2007	525	1729

1	2	3	4	5	6
6	ఇటుక బట్టి పరిశ్రమ (22-11-2006 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.84)	734	11-12-2006	502	1729
7	జీడిపప్పుల ప్రాసెసింగు సంస్థలు (24-6-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.49)	375	2-7-2008	525	1729
8	స్టోన్ వేర్ పైపుల తయారీ మినహా సిమెంటు కాంక్రీటు పైపులు, సిమెంటు వేర్ తయారీ (22-9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.84)	584	6-10-2007	502	1729
9	రసాయనాలు, మందులు (7-12-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.117)	705	19-12-2007	525	1729
10	చలనచిత్ర పరిశ్రమ (19-2-2009 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.17)	105	19-2-2009	537	1729
11	క్లబ్ లు, క్యాంటీన్ లు (06-12-2006 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.86)	759	20-12-2006	502	1729
12	కాఫీ మొక్కలను నాటడం (1-11-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.109)	653	15-11-2007	508	1729
13	కలర్ ప్రింటింగ్, నూలు వడకడం (13-8-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.67)	500	28-08-2008	525	1729
14	డ్యామ్ లు, బహుళ ప్రయోజక ప్రాజెక్టులలో కలుపుకొని ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం (1-11- 2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.107)	652	15-11-2007	508	1729
15	రోడ్లు, భవనాల పనుల నిర్మాణం, నిర్వహణ (22-9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.85)	568	01-10-2007	525	1729

1	2	3	4	5	6
16	కాటన్ జిన్నింగ్, ప్రెస్సింగ్, ప్యాక్టరీలు (22-6-2010 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.50)	302	24-06-2010	572	1729
17	కాటన్ కార్పెట్ నేత సంస్థలు (29-7-09 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.66)	376	03-08-2009	537	1729
18	డిస్ట్రీలరీలు, ట్రైవరీలు (28-9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.86)	584	06-10-2007	525	1729
19	పని మనుషులు (01-11-2011 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.60)	44	18-01-2012	835	1729
20	ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమ (11-10-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.99)	625	27-10-2007	525	1729
21	మత్స్య పరిశ్రమ, సముద్రపు ఆహారం (28- 9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.93)	617	26-10-2007	525	1729
22	పాదరక్షలు మరియు తోలు పరిశ్రమ (17-08-2022 తేదీగల ఎల్ ఎఫ్ బి అండ్ ఐఎంఎస్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.27)	860	24.08.2022	1479	1729
23	గార్మెంటు దాని అనుబంధ తయారీ పరిశ్రమ (19-11-2011 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.62)	44	18-01-2012	835	1729
24	గాజు పరిశ్రమ (28-9-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.91)	620	26-10-2007	525	1729
25	గోల్డ్ కవరింగ్, గోల్డ్ కోటింగ్ పరిశ్రమ (1-11-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.108)	653	15-11-2007	525	1729
26	బౌళి, (సిల్క్) చేనేత సంస్థలు (04-10-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.88)	653	18-11-2008	488	1729

1	2	3	4	5	6
27	చేనేత, జాళి సంస్థలు (16-03-2009 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.34)	204	21-04-2009	488	1729
28	ఆసుపత్రులు, సర్పింగ్ హోంలు, క్లినిక్ లు, డిస్పెన్సరీలు (8-12-2011 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.68)	171	19-03-2012	847	1729
29	అన్ని కళాకాలల హాస్టళ్లు, అన్ని ఇతర విద్యా సంస్థలు (15-12-2011 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.71)	282	17-05-2012	835	1729
30	హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టోజన కాలలు (01- 11-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.105)	652	15-11-2007	508	1729
31	జనపనార, కొబ్బరి పీచు పరిశ్రమ (21- 12-2011 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.74)	359	02-07-2012	835	1729
32	ఖండసారి ఫ్యాక్టరీలు (24-06-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.48)	374	02-07-2008	525	1729
33	సున్నపురాయి పట్టీలు (07-02-2006 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.8)	87	16-02-2006	487	1729
34	మార్కెటింగ్ సొసైటీల వినియోగదారు సహకార సంఘాలు, సహకార బ్యాంకులు (18-12-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.121)	728	28-12-2007	525	1729
35	అగ్గిపట్టీలు, మందుగుండు సామగ్రి పనులు (21-07-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.68)	466	03-08-2007	502	1729
36	ట్రైన్ మిల్స్ లో ఉపయోగిస్తున్న మెస్తా (18-10-2006 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.79)	580	23-10-2006	502	1729

1	2	3	4	5	6
37	మెటల్ ఫౌండరీస్, జనరల్ ఇంజనీరింగ్ (28-09-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.88)	621	26-10-2007	525	1729
38	మైకా పనులు (28-05-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.35)	327	05-06-2008	525	1729
39	మిని, టీని సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు (07-12-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.118)	705	19-12-2007	525	1729
40	నిర్మాణం, పంపిణీ అండ్ ప్రచారణతోపాటు మోషన్ సిసీ పరిశ్రమ (11-10-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.98)	625	27-10-2007	502	1729
41	ట్యూబ్‌రీయల్ ఇన్ స్ట్రక్చర్స్, కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్స్ తోపాటు ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో పనిచేయుచున్న బోధనాతర సిబ్బంది (21-12-2011 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.73)	383	09-07-2012	847	1729
42	చేతితో తయారు చేసే పేపరుతోపాటు, స్ట్రా బోర్డుతోపాటు పేపరు మరియు పేపరు బోర్డులు (08-12-2011 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.69)	82	02-02-2012	835	1729
43	నెట్లీలు బంకులు (28-09-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్(కార్మిక.II)శాఖ, నెం.89)	621	26-10-2007	525	1729
44	మరమ్మిగం పరిశ్రమ (03-07-2009 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.53)	375	03-08-2009	525	1729
45	లితో, ఆఫ్ సెట్ తోపాటు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ (27-06-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.51)	375	02-07-2008	525	1729
46	ప్రైవేటు మోటారు ట్రాన్స్‌పోర్టు (28-09-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.90)	618	26-10-2007	525	1729

1	2	3	4	5	6
47	టాక్స్ కన్సల్ టింట్స్ తోపాటు చార్జెడ్, కాస్ట్ అకౌంట్స్ ఆడిటర్ల వంటి వృత్తి నిపుణులు, అడ్వకేట్ల వద్ద పనిచేస్తున్న క్లర్క్ (03-07-2009 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.54)	375	03-08-2009	572	1729
48	పబ్లిక్ మోటార్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ (22-11-2006 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.83)	723	04-12-2006	502	1729
49	రోలర్ ఫ్లోర్ మిల్స్ తోపాటు రైస్ మిల్లులు, ఫ్లోర్ మిల్లులు లేదా చాల్ మిల్లులు (21-09-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.82)	690	12-12-2007	525	1729
50	సాల్ట్ పాన్స్ (30-12-2006 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.91)	67	05-02-2007	502	1729
51	సపాయి కర్మదారీలు (08-12-2009 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.108)	67	09-02-2010	590	1729
52	సెక్యూరిటీ సేవలు (28-05-2010 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.43)	251	02-06-2010	590	1729
53	విత్తన ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు (16-03-2009 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.35)	204	21-04-2009	487	1729
54	షాపులు, వాణిజ్య సంస్థలు (07-12-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.116)	705	19-12-2007	525	1729
55	పలక ఫ్ల్యాక్టరీలు (01-11-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.106)	652	15-11-2007	525	1729
56	సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, నోడా నీరు తయారీ యూనిట్లు (06-07-2006 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.52)	410	10-07-2006	487	1729

1	2	3	4	5	6
57	స్పెన్సింగ్ మిల్లులు (07-01-2012 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.3)	387	09-07-2012	847	1729
58	స్టీల్ మిల్లులు, స్టీల్ రీ రోలింగ్ మిల్లులు (18-12-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.122)	728	28-12-2007	525	1729
59	స్టోన్ బ్రేకింగ్ అండ్ స్టోన్ క్రషింగ్ ఆపరేషన్స్ (02-02-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.05)	71	14-02-2008	525	1729
60	తోళ్ల గోదాములు అండ్ తోలు కర్మాగారము (31-03-2009 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.38)	25	22-01-2010	508	1729
61	టైల్స్, కుమ్మరి పరిశ్రమలు (28-09-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.92)	621	26-10-2007	525	1729
62	పొగాకు (బీడీ తయారీ కాకుండా) కర్మాగారం (18-12-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.123)	728	28-12-2007	525	1729
63	అమ్మకం, రవాణా పరిశ్రమతోపాటు కల్లుగీత (22-06-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.55)	435	25-07-2007	508	1729
64	కలప నిర్వహణ కాకుండా ఫర్నిచర్ తోపాటు కలప పని పరిపాలన (26-05-2008 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.34)	326	05-06-2008	525	1729
65	ఉల్సన్ కార్పెట్ తయారీ, సాలువా నేత (24-01-2007 తేదీగల ఎల్ఐటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) శాఖ, నెం.07)	94	15-02-2007	502	1729

2వ భాగం

వరుస సంఖ్య	అనుసూచిత ఉపాధి ఏరు (బి.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం., తేదీ.)	ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిటు అసాధారణ సంచిక 2వ భాగంలో ప్రచురణ		ప్రస్తుత ప్రకటనలో అనుసంధానించిన వ్యవసాయ కార్మికుల సి.పి.ఐ పాయింట్లు (1986=100 సిరీసు)	01-10-2023 తేదీనాటికి సి.పి.ఐ సంఖ్యలు
		సంఖ్య	తేదీ		
1	2	3	4	5	6
1	తమల తీగలు (18-06-2011 తేదీగల ఎల్ఐబి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, నెం.32)	368	20-07-2011	589	1346
2	పశువుల దాణాతోపాటు పాడి పరిశ్రమాలివ్వద్ద (18-06-2011 తేదీగల ఎల్ఐబి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, నెం.34)	499-ఏ	03-09-2011	589	1346
3	దాణా యూనిట్లు, రవాణాతోపాటు కోళ్ల పరిశ్రమ (18-06-2011 తేదీగల ఎల్ఐబి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, నెం.33)	368	20-07-2011	589	1346
4	ఉద్యానవనాలు (18-07-2012 తేదీగల ఎల్ఐబి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, నెం.72)	629	23-11-2012	589	1346
5	వ్యవసాయం (18-07-2012 తేదీగల ఎల్ఐబి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.ఐ) శాఖ, నెం.73)	280	18-04-2013	619	1346

గమనిక :-

1. మొదటి భాగంలోని వరుస సంఖ్య 1 నుండి 65, రెండవ భాగంలోని 1 నుండి 5 వరకు చూపిన ఉపాధులకు సంబంధించి లింక్ పాయింట్లు (అంటే 6,5 గడులు) పైబడి పాయింట్లలో పెరుగుదల కోసం 01-10-2023 నుండి 31-03-2024 వరకు జీవన వ్యయభల్యాన్ని అనుమతించనగును.

తేదీ: 29.09.2023

యమ్.వి. శేషగిరి బాబు,
కార్మిక శాఖ కమీషనర్.

PRESS NOTE


The Commissioner of Labour, Telangana, Hyderabad & the Competent Authority under the Minimum Wages Act, 1948, has declared the average State Industrial Workers Consumer Price Index Numbers for the half year ending Dec, 2022 as follows:-

Part-I (Industrial Workers) : Increase of 35 points from 1733 to 1768

Part-II(Agricultural Workers): Increase of 44 points from 1302 to 1346

These are applicable for the period from 01.10.2023 to 31.03.2024 in various Scheduled Employments notified under the Minimum Wages Act, 1948, in the State of Telangana for the purpose of calculation of Variable Dearness Allowance.

Yours faithfully
Sd/- Ahmad Nadeem
Commissioner of Labour


Deputy Commissioner of Labour

TELANGANA - CONSTRUCTION OR MAINTAINANCE OF ROADS AND BUILDING OPERATIONS

Notification issued vide G.O.Ms.No.85, LET&F (Lab.II) Dept., dt: 22-09-2007

Published in Gazette No.568 , dated 01-10-2007

Wages Linked Agrl. CPI points	525				
Agrl. CPI points notified as on	01-10-2023			1768	
VDA to be paid from	01-10-2023	to		31-03-2024	1243
Per point rate of VDA notified in the notification					
6.4					
Sl.N o.	Name of the Category	Basic Wage	VDA	Total Wage	Skill Category
EMPLOYMENT IN BUILDING OPERATIONS					
1	1st Class Mason, 1st Class Carpenter, 1st Class Painter, Mechanic, Stone Dresser, Piper, Fitter, Plumber, Tile Turner, Mason or Carpenter, Malstry, Stone Cutter, Welder, Electrician (Licenced Maistry or works Maistry), Machinist, Supervisor.	4938	7955	12893	SKILLED
2	2nd Class Mason, 2nd Class Carpenter or Asst. Garpenter, 2nd Class Black Smith, 2nd Class Painter, Fitter for bending Bars for Reinforcement, Tinker, Sawyer, Glassier, Brick Moulder, Pot Tile turner, Brick and Lime Kilnman, Asst. Fitter	4102	7955	12057	SEMI-SKILLED
3	Mazdoor, Gang Mazdoor, Tachar, Mukkadam, Peon Sweeper, Bhistha, Scavenger, Watchman, Security Guard.	3370	7955	11325	UN-SKILLED
4	Clerks, Store-keeper, Muster Glerk, Typist, Steno Accountant, Computer Operator	4302	7955	12257	OTHER
5	Double Bullock CarU Single Bullock Cart	3370	7955	11325	CARTMAN
EMPLOYMENT IN THE CONSTRUCTION OR IN MAINTENANCE OF ROADS - Same rates in the building industry expect in respect of the following categories					
1	Driver of Bulldozers and earth moving on machinery/Driver of Lorries and Road Rollers	5138	7955	13093	
2	Tractor Drivers	4520	7955	12475	
3	Drifvers of Furnp Engines and Motor Mills	4102	7955	12057	
4	Pump and Engine Cleaner/Hammer Man/ Fireman	3370	7955	11325	

METAL FOUNDRIES AND GENERAL ENGINEERING				
Notification issued vide G.O.Ms.No.88, LET&F (Lab.II) Dept., dt:28-09-2007				
Published in Gazette No.621, dated 26-10-2007				
Wages Linked Agrl. CPI points		525		
Agrl. CPI points notified as on		01-10-2023	1768	
VDA to be paid from		01-10-2023	to	31-03-2024 1243
Per point rate of VDA notified in the notification		6.2		
Sl. No.	Name of the Category	Basic Wage	VDA for 565 Points	Total Wage
1	2	3	4	5
I	HIGHLY SKILLED			
1	Foreman/Chargehand	6050	7707	13757
II	SKILLED:			
A	Mechanic/ Pattern Maker/ Craneshap Driver/ Plumber	4783	7707	12490
B	Turner/ Mechinist/ Moulder/ Welder/ Blacksmith/ Electrician/ Miller Swaper/ Carpenter/ Fitter	4456	7707	12163
C	Core Maker/ Driller/ Painter/ Winder/ Tiner/ Assembler/ Nickel Plater/ Chipper/ Punch and Press Operator	4265	7707	11972
III	SEMI-SKILLED:			
1	Grinder/ Hammerman/ Oilman/ Wireman/ Helper/ Asst. to skilled categories A,B,C above	3734	7707	11441
IV	UN-SKILLED:			
1	Peon/ Attender/ Watchman/ Chowkidar/ Office Boy/ Cleaner/ Gardener/ Mali	3263	7707	10970
V	OFFICE STAFF:			
1	Manager	5749	7707	13456
2	Store Keeper/ Accountant/ Steno/ Computer Operator	4265	7707	11972
3	Clerk/ Typist/ Cashier/ Time Keeper	4007	7707	11714

TELANGANA - SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS

Notification issued vide G.O.Ms.No.116, LET&F (Lab.II) Dept., dt: 07-12-2007

Published in Gazette No.705 , dated 19-12-2007

Wages Linked at 525 CPI points. CPI points notified as on **01-04-2023 = 1768** points

VDA to be paid from **01-10-2022 To 31-03-2023 = 1768 - 525 = 1243** points. Per Point @ Rs.6.40

Minimum Wages and VDA payable from **01-10-2023 to 31-03-2024**

Sl.No.	Name of the Category	Basic Wage Zone-I	Basic Wage2 Zone-II	VDA Zone-I	VDA Zone-II	Total Wage Zone-I	Total Wage2 Zone-II	Column1
	COMMERCIAL ESTABLISHMENTS							
1	Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Office Incharge/ Computer Programmer	5557	5138	7955	7955	13512	13093	
2	Accountant/ Asst.Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	4722	4520	7955	7955	12677	12475	
3	Salesman, Stenographer, Receptionist, Auction Bider, Type Writer Instructor, Electrician, Radio Mechanic, Optical Mechanic, Surfacier, Grinder, Photographer, Photo Artist, Typewriter, Mechanic, T.V.Mechanic, Fitter, Turner, Welder and Plumber, Mason etc.	4520	4302	7955	7955	12475	12257	SKILLED
4	Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown Incharge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst.Accountant/ Xerox Machine Operator	4102	3886	7955	7955	12057	11841	SEMI SKILLED - A
5	Weighman/ Kolgari/ Computer Operator	3886	3757	7955	7955	11841	11712	SEMI SKILLED - B
6	Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger	3700	3370	7955	7955	11655	11325	UN-SKILLED
	Zone:I = Means all Municipal Corporations in A P, Selection Grade and Special Grade Municipalities.							
	Zone-II = Means rest of the areas in the State.							

Telangana Minimum Wages for SECURITY SERVICES

Notification issued vide G.O.Ms.No.43, LET&F (Lab.II) Dept., dt: 28.05.2010

Published in Gazette No. 251, dated 02-06-2010

Wages Linked CPI points.		590								
CPI points notified as on		01-10-2023 1768								
VDA to be paid from		01-10-2023	To 31-03-2024 1178							
Per point rate of VDA notified in the notification		6.75								
Sl. No.	Name of the Category	Basic	Basic	Basic	VDA	VDA	VDA	Total Wage	Total Wage	Total Wage
	SECURITY SERVICES	Zone-I	Zone-II	Zone-III	Zone-I	Zone-II	Zone-III	Zone-I	Zone-II	Zone-III
	Highly Skilled									
1	Security Supervisor, Security Officer, Field Officer	7500	6500	5000	7952	7952	7952	15452	14452	12952
	Skilled									
2	Security Inspector, Assistant Security officer, Intelligence and Fire Fighting Personnel Head	7000	6000	4500	7952	7952	7952	14952	13952	12452
	Semi-skilled									
3	Assistant Security Inspector, Security Guards with Arms	6500	5500	4250	7952	7952	7952	14452	13452	12202
	Un-skilled									
4	Security Guards without Arms	5000	4250	4000	7952	7952	7952	12952	12202	11952



No.:P-11014/3/2022-Bft.II (Part-I)

Dated 04.10.2023

To

RDs/JDs (I/c)/DDs (I/c)
Regional/Sub-Regional Office,
Employees' State Insurance Corporation.
Corporation

Medical Superintendent/Deans
ESIC Hospitals/Medical Colleges,
Employees' State Insurance

Subject - Aadhar seeding in respect of Insured persons and their family members - reg.

Please refer to this office letters of even No. dated 20/06/2023, 17/07/2023 and 20/07/2023 wherein process of Aadhar seeding was circulated in detail for information and necessary action by all the field offices.

Despite of the above instructions, it has been observed that progress of Aadhar seeding is not satisfactory and the field offices are not able to achieve the daily targets fixed for them. Field offices have frequently raised issues relating to the OTP based authentication citing the reasons like non-receipt of OTP, change of mobile number by IPs etc.

In view of the above, the matter has been examined at Hqrs. and it has been decided that in addition to OTP based authentication, biometric authentication should also be introduced to speed up Aadhar seeding in respect of insured persons and their dependents. The ICT Division(Hqrs) has developed an application for the same which will be made available shortly. For the Biometric authentication the ICT Division has suggested the following make/model of biometric devices which are compatible with our application and are approved by the C-DAC:-

1. MFS110 (M/s Mantra Softech (India) Pvt. Ltd.).
2. FM220U L1 (M/s Access Computech Pvt. Ltd.)

The detail of the biometric authentication devices is available at https://uidai.gov.in/images/Fingerprint_L1_RD_Devices_14_09_2023.pdf

The above devices are to be procured after following the due process and as per the details given below:-

Procuring Office : Dean/MS, ESIC Hospitals/Medical College

S.No.	Name of the office	Quantity
1.	ESIC Hospital & Medical Colleges	1 Biometric device per 150 OPD attendance. 1 Kiosk for every 150 OPDs per day should be set up in Hospital/Medical Colleges. In addition to above, 5 Devices may be purchased for Hospital use, for the activities as stipulated by the Medical services

Procuring Office : Directorate (Medical) Delhi

S.No.	Name of the office	Quantity
1.	Directorate (Medical) Delhi for the Dispensaries in Delhi	1 Biometric device for each of the ESIC Dispensaries at Delhi and 2 spare devices for use in Directorate (Med.) Delhi.

Procuring Office : RO/SRO

S.No.	Name of the office	Quantity
1.	RO/SRO	2 Biometric devices for each Branch offices/DCBOs under the jurisdiction of RO/SRO 1 Biometric device for each of the inspection zone may be used by the field offices for the Aadhar seeding at employer's premises. In addition to above the RO/SRO may procure up to maximum 10 devices as per their need assessment, keeping in view local conditions.

All field offices are directed to use these Biometric devices at Regional Offices, Sub-regional offices, Branch Offices, DCBOs, Kiosk established at ESIC Hospitals/Medical colleges , IPs clusters and employer's premises so that the target fixed for the ROs/SROs may be achieved on daily basis.

This issues with the approval of the Director General.

(Ravi Prakash, IOFS)
Additional Commissioner(Bft & PG)


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249415
CG-DL-E-13102023-249415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4327]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 2023/आश्विन 21, 1945

No. 4327]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2023/ASVINA 21, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2023.

का.आ. 4498(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध, अर्थात्:—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73;
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4), धारा 80, धारा 82 और धारा 83

उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, बदायूं, सुल्तानपुर, देवरिया, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, बागपत, चित्रकूट, सम्मल और अयोध्या जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-38013 / 13 / 2023-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2023

S.O.4498(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely:—

- (i) sections 38 to 43 and section 45A to section 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and section 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Lalitpur, Kushinagar, Kaushambi, Budaun, Sultanpur, Deoria, Ballia, Jaunpur, Azamgarh, Baghpat, Chitrakoot, Sambhal and Ayodhya districts in the State of Uttar Pradesh.

[F. No. S-38013/13/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249416
CG-DL-E-13102023-249416

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 2023/आश्विन 21, 1945

No. 4326]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2023/ASVINA 21, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2023.

का.आ. 4497(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध, अर्थात्:—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73;
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4), धारा 80, धारा 82 और धारा 83

तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में, पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य के उक्त जिले के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-38013/16/2023-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2023

S.O.4497(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely —

- (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V;
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI

shall come into force in all the areas of Nilgiris district, in addition to the already notified areas in the said district, in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/16/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser



No. **P-11/14/Pending legal Cases/2023-Rev.II**

Date: .10.2023

To,

All AC & RD/Director I/c/JD I/c/DD I/c
ROs/SROs, ESI Corporation

Sub: Enhancement of the Limit for Non-claiming of Interest for delayed payment of contribution- Regarding.

Sir,

I am directed to state that Hqrs office vide Memorandum No. T-11/113/8/2001-Ins.III dated 4-9-2003 issued instructions advising the field offices not to claim interest if the amount of interest for a contribution period is Rs. 100/- or less.

In this regard, it is informed that considering the enhancement of the wage ceiling over the years, the administrative inconvenience and cost in the process of claiming interest and recovery, the matter has been examined at Hqrs Office and it has been decided that the interest payable due to delayed payment of contribution for any reason in any contribution period(taken as a whole), which does not exceed Rs. 300/- may not be claimed.

This instruction will come into force from 1st November, 2023. The cases already decided should not be re-opened.

This issues with the approval of the Director General.

Encl:- As above

Yours faithfully,

(Piyush Joshi)
Asst. Director(Revenue)

प्रेषक

अति-आवश्यक

कल्याण आयुक्त, हरियाणा,
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
बेज नं० 29-30, पॉकेट-II,
सेक्टर-4, पंचकूला।

सेवा में

1. सभी उप श्रम आयुक्त (कल्याण), हरियाणा राज्य में।
2. सभी श्रम कल्याण अधिकारी हरियाणा राज्य में।
3. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में।

क्रमांक: HLWB/Scheme/2023/
दिनांक:

विषय : हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में वित्तीय सहायता राशि बढ़ाने की घोषणाओं उपरान्त बड़ी हुई राशि को लागू करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विश्वकर्मा जयन्ती के शुभ अवसर पर "राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस" दौरान हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में सार्किल योजना में 3000 रु० से बढ़ाकर 5000 रु०, सिलाई मशीन योजना में 3500 रु० से बढ़ाकर 4500 रु० तथा छात्रवृत्ति योजना में निम्न संशोधन किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

पढाई जारी रखने की कक्षा	छात्र व छात्राओं के लिए
9वीं से 10वीं	10,000 रुपये
आईटीआई डिप्लोमे के प्रत्येक वर्ष के लिए	10,000 रुपये
11वीं से 12वीं	12,000 रुपये
सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	15,000 रुपये
पोलीटेकनिक डिप्लोमे, सीए०, डी० फार्मसी, ए०एन०एम०, जी०एन०एम० तथा अन्य अंडरग्रेज्युएट डिप्लोमा तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	15,000 रुपये
सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री, बी० फार्मसी के प्रत्येक वर्ष के लिए	20,000 रुपये
सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्रियों / डिप्लोमे / पी०एच०डी० नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए	20,000 रुपये
सभी प्रकार की मैट्रिकल डिग्रियों (एम०बी०बी०एस०, बी०डी०एस०, बी०ए०एम० एस० आदि) के प्रत्येक वर्ष के लिए	21,000 रुपये

यह संशोधन इस नोटिफिकेशन की तिथि से प्रभावित होंगे।

— 58 —
उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृत: कल्याण आयुक्त, हरियाणा

पृ० क्रमांक : 6567-75

दिनांक : 12/10/2023

उक्त की एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, माननीय श्रम मंत्री, हरियाणा सरकार।
2. निजि सचिव, आदरणीय प्रधान सचिव, श्रम विभाग, हरियाणा सरकार।
3. निजि सचिव, आदरणीय कल्याण आयुक्त, हरियाणा।
4. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही के लिए है।
5. कंप्यूटर प्रोग्रामर, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड को पोर्टल पर संशोधन बारे आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. सभी शाखाएं, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए है।

उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृत: कल्याण आयुक्त, हरियाणा